# नुक़ूशे इस्मत

## (3)

## हज़रत फ़ातिमः ज़हरा स०अ०

अल्लामा
सै० ज़ीशान हैदर जवादी
ता ब सराह

हिन्दी तर्जुमा
उम्मे जाफ़र

नाशिर
तनज़ीमुल मकातिब

# नुक़ूशे इस्मत

# (3)

## हज़रत फ़ातिमः ज़हरा स०अ०

अल्लामा

**सै० ज़ीशान हैदर जवादी**

ता ब सराह

हिन्दी तर्जुमा

**उम्मे जाफ़र**

तनज़ीमुल मकातिब
गोलागंज, लखनऊ-18
फ़ोन : 2615115, फ़ैक्स : 2628923
ई-मेल : makatib@makatib.net

# फ़ेहरिस्त

- नाम किताब : नुक़ूशे इस्मत-3
- मुसन्निफ़ : अल्लामा सै० ज़ीशान हैदर जवादी ता-ब-सराह
- तर्जुमा : उम्मे जाफ़र
- कम्पोज़िंग : सदफ़ महदी
- पहला एडीशन : मई, सन् 2007 ई०
- तादाद : एक हज़ार
- प्रिन्टिंग : ए.बी.सी.आफ़सेट, दिल्ली।
- पब्लिशर : तनज़ीमुल मकातिब, गोलागंज, लखनऊ-18 (इण्डिया)
- क़ीमत : 20 =

# अपनी बात

तनज़ीमुल मकातिब ने बेहतर से बेहतर मज़हबी लिट्रेचर छापने का बीड़ा उठा रखा है और मुसलसल ऐसा लिट्रेचर पेश कर रहा है, जिसकी मिसाल पिछले पचास साल के अन्दर नहीं दिखाई देती बल्कि शायद यह कहना ग़लत न होगा कि बीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है, जिसने इतना मज़हबी लिट्रेचर दिया हो जितना तनज़ीमुल मकातिब ने दिया है।

"नुक़ूशे इस्मत" अल्लामा जवादी[ता-ब-सराह] की लिखी हुई किताब है, जिसमें रसूलुल्लाह[स०] से इमाम महदी[अ०] तक चौदह मासूमों की ज़िन्दगी को अलग-अलग चौदह हिस्सों में पेश किया गया है। यह किताब उर्दू में कई बार छप चुकी है। अब हिन्दी में छापी जा रही है। चूँकि किताब लगभग सात सौ पेज की है जिसे ख़रीदना और एक साथ पढ़ना आम आदमी के लिए अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए इस किताब को चौदह हिस्सों में छापा जा रहा है ताकि ज़ियादा से ज़ियादा लोग फ़ायदा उठा सकें।

बानिये तनज़ीम से वाबस्तगी के ज़रीए मिलने वाले दीनी ख़िदमत के जज़्बे के तहत मोहतरमा उम्मे जाफ़र साहिबा ने नुक़ूशे इस्मत को हिन्दी में लिखने का काम शुरू कर दिया और तेज़ रफ़्तारी से पाँच हिस्से पूरे कर लिए। पहला हिस्सा "हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०]" व दूसरा हिस्सा "हज़रत अली[अ०]" के नाम से पेश किया जा चुका है, अब यह तीसरा हिस्सा पेशे ख़िदमत है जो हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की ज़िन्दगी से मुतअ्ल्लिक़ है। बाक़ी दो हिस्से कम्पोज़िंग के मरहले में हैं, जो हज़रत इमाम हसन[अ०], हज़रत इमाम

हुसैन[अ०] से मुतअ्ल्लिक़ हैं। इन्शाअल्लाह जल्द ही आपके सामने किताबी शक्ल में आ जाएँगे।

मोहतरमा ने सिर्फ़ लिपि बदली थी, जिसकी वजह से बहुत से अलफ़ाज़ उर्दू न जानने वाले लोगों के लिए सख़्त थे। इसलिए मौलाना तसदीक़ हुसैन साहब को ज़हमत दी गई और उन्होंने शुरू से आख़िर तक देखकर ज़ुबान को आसान कर दिया, ताकि समझने में दुश्वारी न हो। कहीं–कहीं अस्ल जुमले को बदलना पड़ा है, लेकिन इस बात का पूरा ख़याल रखा गया है कि मफ़हूम बदलने न पाए। कुछ पैराग्राफ़ भी इसलिए नहीं शामिल किये गये कि उनमें मौजूद इल्मी बातें हिन्दी जानने वालों के मतलब की नहीं थीं। इस काम में वक़्त ज़रूर लगा मगर अब इन्शाअल्लाह किताब आम आदमी के समझने के लायक़ हो गई है।

करीम परवरदिगार हमारी कोशिशों को क़बूल फ़रमाए और मोमेनीन ख़ासकर जवानों को अच्छे और मुफ़ीद लिट्रेचर से ज़ियादा से ज़ियादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए।

वस्सलाम,

*सय्यद सफ़ी हैदर*

सेक्रेटरी तनज़ीमुल मकातिब

लखनऊ

# हज़रत फ़ातिम: ज़हरा अ०

## की ज़िन्दगी का ख़ाका

विलादत : 20 जुमादस्सानियः
सन् 5 बेअ्सत

शहादत : 3 जुमादस्सानियः
सन् 11 हिजरी

.........तुम्हारे लिए दोपहर के सूरज की तरह यह बात ज़ाहिर है कि मैं उसी नबी[स०] की बेटी हूँ । ऐ अबूबक्र! क्या मुझे उनकी मीरास न मिलेगी ? क्या कुर्आन में यही है कि तू अपने बाप का वारिस बने और मैं अपने बाप की वारिस न बनूँ। यह कैसी अजीब बात है ? क्या तुमने जान–बूझकर ख़ुदा की किताब को पीछे डाल दिया है ? जबकि उसमें दाऊद के सुलैमान के वारिस होने का ज़िक्र है और हज़रत ज़करिया की यह दुआ है कि ख़ुदाया मुझे ऐसा वली दे जो मेरा और याकूब की आल का वारिस हो और यह एलान है कि रिश्तेदार कुछ रिश्तेदारों से अफ़ज़ल हैं और यह इरशाद है कि ख़ुदा औलाद के बारे में तुमको यह नसीहत करता है कि लड़के को लड़की का दोगुना मिले और यह तालीम है कि मरने वाला अपने वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करे। यह मुत्तक़ीन की ज़िम्मेदारी है।

......खुतबए फ़िदक

# हज़रत फ़ातिम: ज़हरा (अ०स०)

- नाम 'फ़ातिम:'[अ०] था, जिसे कुदरत ने इसलिए चुना था कि हज़रत फ़ातिम:[अ०] पैरवी करने वालों को जहन्नम की आग से नजात दिलाने वाली हैं।

- अलक़ाब– ज़हरा, राज़ियः मरज़ीयः सिद्दीक:, बिज़्अतुर्रसूल और उम्मे अबीहा वग़ैरह। आख़िरी लक़ब का राज़ यह है कि आपने अपने बाप हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] को माँ जैसी मुहब्बत दी और आपसे से ही उनकी नस्ल बाक़ी भी रही है।

विलादत 5 बेअ्सत में हुई है यानी जिस साल रसूल[स०] ने अल्लाह के हुक्म से रिसालत का एलान किया, उसके पाँच साल बाद। अगरचे कुछ उलमा ने बेअ्सत से पाँच साल पहले लिखा है और उनका ख़याल यह है कि हज़रत ख़दीज: के अक़्द और मासूम: की विलादत में 20 साल का फ़ासला नहीं हो सकता है। इसलिये कि हज़रत ख़दीज: के बत्न से क़ासिम बेअ्सत से पहले पैदा हुए और दो साल की उम्र में वफ़ात पा गए। अब्दुल्लाह भी बेअ्सत से पहले पैदा हुए और कमसिनी में वफ़ात पा गये। हालाँकि यह बात अजीबो ग़रीब है कि दो बेटों के बाद बीस साल का फ़ासला नहीं रह जाता है बल्कि 5 या 7 साल ही का रह जाता है।

- हज़रत ख़दीज: ने अपने तमाम पैग़ामात रद्द करके मुरसले आज़म[स०] से अक़्द किया था। लेहाज़ा विलादत के वक़्त तमाम औरतों ने बाइकाट कर दिया और कोई मदद के लिए नहीं आया तो क़ुदरत ने हज़रत आसियः, जनाबे मरियम, हज़रत मूसा की बहन हज़रत कुलसूम जैसी मुक़द्दस औरतों को ख़िदमत के लिए भेज

दिया, जो खुदा की राह में ईसार करने वालों का इन्आम भी है और करम करने वाले खुदा की ग़ैबी इमदाद का बेहतरीन नमूना भी है।

आप रसूलुल्लाह[स०] की इकलौती बेटी थीं और ज़ैनब व उम्मे कुलसूम और रूक़य्यः रसूलुल्लाह[स०] की पालक थीं, जिनके बारे में यह इख़्तिलाफ़ है कि यह हज़रत ख़दीजः की बेटियाँ थीं या हज़रत ख़दीजः कुआँरी थीं, और उनकी बहन हाला की बेटियाँ थीं। जैसा कि कुछ उलमा ने साबित किया है और उसकी बहुत सी दलीलें भी बयान की गयी हैं। यह बात बहरहाल तयशुदा है कि रसूलुल्लाह[स०] की बेटियाँ नहीं थीं और इसकी खुली हुई दलील यह है कि रसूले अकरम[स०] का अक़्द 25 साल की उम्र में बेअ्सत से 15 साल पहले हुआ है और 6 साल तक कोई औलाद नहीं हुई और इन तीनों बेटियों का अक़्द बेअ्सत से पहले ही अबूलहब के बेटों अतबः व उतैबः और अबुलआस बिन रबीअ् से हो चुका था और अब यह बात तक़रीबन नामुमकिन और समझ से बाहर है कि 10 साल के अन्दर तीनों बेटियाँ पैदा भी हों और उनका अक़्द भी हो जाये, जबकि दरमियान में क़ासिम और अब्दुल्लाह की विलादत का वक़्त भी रखना पड़ेगा।

फिर अगर किसी सूरत से उन्हें पैग़म्बर[स०] की बेटियाँ फ़र्ज भी कर लिया जाये तो यह वह बेटियाँ हैं, जिनका अक़्द कुफ़्फ़ार से हो चुका है और कुफ़्फ़ार से अक़्द हो जाने के बाद मुसलमान से अक़्द न उसे मन्सब के मुस्तहक़ बना सकता है और न ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला होने के लिए लड़की का नूर होना ज़रूरी है और यह शरफ़ हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] के अलावा किसी को हासिल नहीं है।

हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] पाँच साल की थीं कि जब सन् 10 बेअ्सत में 10 रमज़ानुल मुबारक को आपकी माँ हज़रत ख़दीजः का इन्तेक़ाल हो गया जो आपकी ज़िन्दगी का पहला बड़ा सद्मा था और जिसके बाद रसूले अकरम[स०] के लिए हज़रत ख़दीजः की जुदाई का सद्मा और ज़ियादा हो गया और आप बराबर उन्हें याद करने लगे, और उनकी तरफ़ से सद्क़ा और ख़ैरात निकालने लगे। यहाँ तक कि आयशः ने टोक दिया कि जवान बीवी के होते हुए बूढ़ी बीवी के याद करने के कोई मानी नहीं है और आपने वाज़ेह कर दिया कि यह बीवी की याद नहीं है, बल्कि यह हज़रत ख़दीजः की याद है जो उस वक़्त ईमान लायी जब सब काफ़िर थे, उस वक़्त मेरी माली मदद की जब इस्लाम को माल की सख़्त ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ुदा ने मुझे ख़दीजः के ज़रीए उस वक़्त औलाद वाला बनाया, जब सब अबतर यानी बेऔलादा होने के ताने दे रहे थे।

हज़रत ख़दीजः की वफ़ात के बाद हज़रत फातिमः[अ०] का दूसरा इम्तेहान उस वक़्त हुआ जब क़ुदरत ने रसूले अकरम[स०] को हिजरत का हुक्म दे दिया और आप हज़रत अली[अ०] को बिस्तर पर लिटाकर मदीने की तरफ़ रवाना हो गए। जबकि दुश्मनों और क़ातिलों ने घर को घेर रखा था और हज़रत फ़ातिमः[अ०] घर के अन्दर मौजूद थीं लेकिन पूरी रात निहायत दरजा इतमीनान के साथ गुज़ार दी, बल्कि मदीने रवानगी के मौके पर भी ज़ालिमों ने रोकना चाहा उस वक़्त भी आप न घबरायीं और न परेशान हुईं बल्कि अल्लाह पर भरोसा किये रहीं।

हिजरत के बाद सबसे पहले बद्र की जंग हुई, जब मुसलमानों के पास न जंगी हथियार थे, न सामान और रसूले अकरम[स०] को जेहाद का हुक्म मिल चुका था। फ़ितरी बात है कि

इन हालात में बेटी को जेहाद से बाप को रोकना चाहिये था और इस शक्ल में मुहब्बत का इज़हार करना चाहिए था। लेकिन हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने खुदा के दीन के मामले में किसी तरह की जल्दबाज़ी नहीं दिखायी और हमेशा कुर्बानी व ईसार से काम लेती रहीं।

बद्र की जंग ख़त्म होने के बाद आपका अक़्द मौलाए काएनात हज़रत अली[अ०] से हुआ, जबकि आप में पायी जाने वाली खूबियों और अच्छाईयों को सुनकर तमाम बड़े–बड़े लोगों ने आपसे अक़्द का पैग़ाम दिया था और खुदा की 'वही' ने सबके पैग़ामात को यह कह कर ठुकरा दिया कि नूर का रिश्ता सिर्फ़ नूर से हो सकता है। पहली ज़िल्हिज्जः सन् 2 हिज़री को यह अक़्द हुआ।

अमीरूल मोमिनीन अली[अ०] की तरफ़ से जब पैग़ाम गया तो रसूले अकरम[स०] ने मह्र की माँग की, हज़रत अली[अ०] के पास दुनिया के माल में से एक तलवार, एक घोड़ा और एक ज़िरह थी। रसूलुल्लाह[स०] ने ज़िरह को बेच देने का हुक्म दिया। 500 दिरहम में ज़िरह बिकी और वही रक़म हज़रत सय्यदः का मह्र क़रार पायी, जिससे पहले ही दिन यह वाज़ेह हो गया कि मह्र की अदायगी अक़्द से पहले ही हो जाना चाहिये। चाहे उसके लिए ज़िन्दगी का बेहतरीन साामन बेचना ही क्यों न पड़े। इस तरह इस ज़माने के नज़रिये की रद्द हो गई कि मह्र सिर्फ़ तज़किरे के तौर पर होता है और उसका अदायगी से कोई तअल्लुक़ नहीं होता है।

मह्र की रक़म लेकर रसूले अकरम[स०] ने जहेज़ का इन्तेज़ाम किया जिससे यह बात वाज़ेह हो गई कि जहेज़ लअ्नत नहीं है, सुन्नत है अलबत्ता उसका इन्तेज़ाम मह्र की रक़म से होना चाहिए और ज़िन्दगी की ज़रूरतों की हद तक महदूद रहना चाहिये। मह्र

से ज़ियादा जहेज़ की माँग करना, या मह्र अदा किये बग़ैर जहेज़ का तक़ाज़ा करना यक़ीनन एक बिद्अत है, जिसे ज़ालिमाना हरकत और कमीनगी कहा जा सकता है।

जनाबे सय्यदा के जहेज़ की कुल तफ़सील यह है :–

1- एक सफ़ेद पैराहन।
2- एक चादर।
3- एक काला जुब्बा।
4- एक तख़्त।
5- दो अदद तोशक।
6- चार तकिये।
7- एक चटाई।
8- एक चक्की।
9- एक प्याला।
10- एक मश्क।
11- कपड़े धोने के लिए एक बर्तन।
12- एक दूध का प्याला।
13- पानी पीने का प्याला।
14- एक पर्दा।
15- एक लोटा।
16- बिछाने के लिए एक खाल
17- मिट्टी का एक गिलास।
18- मिट्टी के दो प्याले।
19- एक अबा।

इस सामान की कुल क़ीमत 63 दिरहम थी, जबकि मह्र की रक़म 500 या 480 दिरहम थी। इस तफ़सील से जहेज़ की नौईयत

का भी अन्दाज़ा हो सकता है और मह्र के मुक़ाबिले में उसकी मालियत का भी। काश ! हमारे बुज़ुर्गों ने मोहमल रस्मों और नामोनमूद के ढकोसलों को छोड़कर सीरते मासूमीन[अ०] को रिवाज दिया होता तो आज सोसाइटी मुसीबतों में न फँसी होती और मुसलमानों में मँहगी शादी सस्ती बदकारी को रवाज न दिलाती।

अक़्द के कुछ दिनों के बाद रूख़्सती का इन्तेज़ाम हुआ बनी हाशिम की औरतों व मख़सूस असहाबे केराम ने इस जुलूस में हिस्सा लिया और निहायत एहतेराम के साथ पैग़म्बर[स०] की बेटी को मौलाए कायनात के घर पहुँचा दिया गया और इस तरह एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत हुई।

इस मौक़े पर इन्तेज़ामात में हज़रत असमा का ज़िक्र किया जाता है, जबकि वह उस वक़्त हज़रत जाफ़र जो हज़रत अली[अ०] के बड़े भाई थे और शहादत के बाद 'जाफ़रे तय्यार' कहे गये, की बीवी थीं और 5 बेअ्सत में उनके साथ हबशः जो अफ़्रीक़ा का एक इलाक़ा है, की तरफ़ हिजरत कर गईं थी और हज़रत जाफ़रे तय्यार की मुकम्मल वापसी 7 हिजरी में जंगे ख़ैबर के बाद हुई है। इसलिए कुछ उलमा ने असमा बिन्ते उमैस के बजाए दूसरी औरत का नाम लिया है और कुछ का ख़्याल है कि मुहाजेरीन का मदीने आना–जाना जारी था और इसी तरह हज़रत असमा भी आ गई होंगी, जिस तरह कि अल्लामः मजलिसी ने उस मौक़े पर खुद हज़रत जाफ़रे तय्यार की शिरकत का भी ज़िक्र किया है, हालाँकि उनकी बाक़ायदा वापसी 7 हिजरी में हुई है।

दूसरे दिन रसूले अकरम[स०] बेटी के घर तशरीफ़ ले आये और दामाद से यह सवाल किया कि तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया ? तो हज़रत अली[अ०] ने कहा कि इबादते खुदा में बेहतरीन मददगार,

जिससे दामाद और ख़ुस्र की बातचीत का अन्दाज़, रिश्ते की पाकीज़गी का फ़लसफ़ा और बीवी की अज़मत व जलालत का राज़ खुलकर सामने आ गया कि इस्लाम में माल व हुस्न की कोई क़ीमत नहीं है, अस्ल ईमान व किरदार है और उसमें हज़रत अली[अ०] के अलावा कायनात में कोई मर्द हज़रत फ़ातिम ज़हरा[अ०] की बराबरी नहीं कर सकता।

सन् 3 हिजरी में ओहद् की जंग हुई, जो हज़रत फ़ातिमः[अ०] की ज़िन्दगी का दूसरा इम्तेहान था, जहाँ सूरतेहाल ऐसी ख़राब हो गई कि अमीरूल मोमिनीन[अ०] ने भी रसूल[स०] की हिफ़ाज़त में 16 गहरे ज़ख़्म खाये और रसूले अकरम[स०] का चेहरए मुबारक भी जख़्मी हो गया। लेकिन जनाबे सय्यदः[अ०] ने डरने और घबराने के बजाए बाप की मरहम पट्टी भी की, शौहर का इलाज भी किया, और जुल्फ़ेक़ारे हैदरी की सफ़ाई का फ़र्ज़ भी अन्जाम दिया, जबकि ओहद् के हालात ने बड़े–बड़े बहादुरों के औसान ख़ता कर दिये थे और वक़्त के बहादुरों ने भागने ही को ग़नीमत समझा था।

अहज़ाब की जंग जिसे 'जंगे ख़न्दक़' भी कहते हैं, सन् 5 हिजरी में और खै़बर की जंग सन् 7 हिजरी में आपके सामने हुई। और हर जंग में हज़रत अली[अ०] जान की बाज़ी लगाते रहे। लेकिन कभी जनाबे सय्यदः[अ०] ने बाप से यह नहीं कहा कि यह काम आ गये तो आपकी बेटी का क्या होगा ? मुनासिब यही है कि दूसरे असहाब को कुर्बानगाह के हवाले कर दीजिए। बल्कि बराबर इस बात पर अपने इतमीनान का इज़हार किया और इसे अपने फ़ज़ायल व कमालात में शुमार किया कि रब्बुल आलमीन ने मुझे ऐसा शौहर दिया है जो ख़ुदा की राह में जेहाद करने वाला और इस्लाम की ख़ातिर जान क़ुर्बान कर देने वाला है।

माँ ऐसी कि दीन के लिए सारा माल क़ुर्बान कर दे। बाप ऐसा कि मज़हब के लिए हर मुसीबत बर्दाश्त कर ले और शौहर ऐसा कि इस्लाम को बाक़ी रखने और रसूले अकरम[स०] की हिफ़ाज़त के लिए हर जंग में जान की बाज़ी लगा दे।

सन् 7 हिजरी में रसूले अकरम[स०] ने आपको हज़रत फ़िज़्ज़ः जैसी कनीज़ अता फ़रमाई तो उनके साथ भी आपका बर्ताव यह रहा कि घर का काम एक दिन हज़रत फ़िज़्ज़ः करें औंर आप आराम करें और एक दिन आप करें और हज़रत फ़िज़्ज़ः आराम करें ताकि इस्लामी बराबरी भी बरक़रार रहे और कनीज़ों को कनीज़ी और ज़िल्लत का एहसास भी न होने पाये।

सन 9 हिजरी में नजरान के ईसाईयों की बेजा ज़िद पर जब मुबाहिले की नौबत आ गई और यह तय हो गया कि दोनों पक्ष अपने–अपने घर वालों को लेकर मैदान में आकर मुबाहिला करेंगे। और खुदा की लअ्नत के ज़रीये ईसा बिन मरियम के खुदा के बन्दे या खुदा के बेटे होने का फ़ैसला होगा तो रसूले अकरम[स०] अपने घर वालों में हज़रत अली[अ०], हज़रत हसन[अ०] व हज़रत हुसैन[अ०] के अलावा हज़रत फ़ातिमः[अ०] को भी मुबाहिले के मैदान में ले आये और इस एहतेमाम के साथ ले आये कि आगे खुद रहे और पीछे हज़रत अली[अ०] को रखा और बीच में हज़रत फ़ातिमः[अ०] को रखा ताकि हज़रत फ़ातिमः[अ०] का मुकम्मल पर्दा और उनकी मरकज़ी शख़्सियत भी बरक़रार रहे और यह भी मालूम हो जाये कि इस्लाम में यह वह बुलन्द पाया सच्चे लोग हैं, जिनको झूठों पर लअ्नत करने का हक़ है और जिनकी लअ्नत पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो सकता है जैसा कि ईसाईयों के आलिम ने खुद इक़रार किया कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि यह अगर खुदा से बद्दुआ करें तो ज़मीन पर कोई एक भी ईसाई न रह जायेगा।

10 हिजरी में रसूले अकरम[स०] ने हिजरत के बाद ज़िन्दगी का पहला और आख़िरी हज किया, जिसमें तमाम घर वालों को भी शिरकत की दावत दी और हज की वापसी पर ग़दीर के मुक़ाम पर हज़रत अली[अ०] के मौला होने का एलान किया, यानी आपके बाद हज़रत अली[अ०] ही उम्मत के सरपरस्त और वली होंगे। यह एलान हज़रत फ़ातिमः[अ०] के लिए मुस्तक़बिल में उम्मत को होशियार करने का बेहतरीन सामान था और जिसे आपने कई जगहों पर दलील के तौर पर पेश भी किया।

सन् 11 हिजरी में सफ़र के महीने की 28 तारीख़ को रसूले अकरम[स०] ने दुनिया से रेहलत फ़रमाई और उस वक़्त आप हज़रत फ़ातिमः[अ०] के घर में थे और आपका सर हज़रत फ़ातिमः[अ०] की गोद मे था। मलकुलमौत ने आवाज़ दी, हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने रसूले अकरम[स०] को इत्तेला दी, आपने फ़रमाया कि इजाज़त दे दो। यह सिर्फ़ तुम्हारे दर का शरफ़ है कि बग़ैर इजाज़त अन्दर नहीं आ रहा है।

रसूले अकरम[स०] के इन्तेक़ाल के बाद हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने पहला इन्क़ेलाब यह देखा कि मुसलमानों ने सक़ीफ़ः में जमा होकर उस ख़िलाफ़त का फ़ैसला शुरू कर दिया, जिसका फ़ैसला मैदाने ग़दीर में हो चुका था और इस तरह कम से कम एक लाख चौदह हज़ार असहाब छोड़कर जाने वाले पैग़म्बर[स०] के जनाज़े में सिर्फ़ उँगलियों पर गिने जाने वाले लोगों ने शिरकत की थी और बेवफ़ाई का यह शुरूआत भी देख ली।

ख़िलाफ़त के फ़ैसले के बाद मुसलमानों ने हज़रत फ़ातिमः[अ०] के घर का रूख़ किया और बाप के इन्तेक़ाल की तअ्ज़ियत पेश करने के बजाय यह माँग की कि अली[अ०] को घर से बाहर निकालो

कि दरबार में आकर ख़लीफ़ए वक़्त की बैअत करें, वरना घर में आग लगा दी जायेगी और कुछ रवायतों की बिना पर दरवाज़े से उठता हुआ धुआँ भी दिखाई दिया, जिसके बाद दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमः[अ०] के पहलुए अक़दस पर गिराया गया, और आपके बेटे मोहसिन ने शिकम में शहादत पायी और हज़रत अली[अ०] के गले में रस्सी डालकर दरबार में ले गए कि इनसे ज़बरदस्ती बैअत करायी जाये। हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने फ़रियाद की कि मैं रसूल[स०] की क़मीस को सर पर रख कर बद्दुआ करूँगी, जिस पर मस्जिदे पैग़म्बर[स०] की दीवारें बुलन्द हो गईं और हज़रत अली[अ०] ने हज़रत सलमान के ज़रीए पैग़ाम भेजकर ऐसा करने से मना किया।

बैअत की माँग के बाद हुकूमते वक़्त ने दूसरा क़दम यह उठाया कि वह फ़िदक जो रसूले अकरम[स०] की मिलकियत था और जिसे आपने अपने सबसे क़रीबी लोगों के हक़ अदा करने के अल्लाह के हुक्म पर हज़रत फ़ातिमः[अ०] को दे दिया था, उस पर क़ब्ज़ा कर लिया और आपके नुमाइन्दे को निकाल बाहर कर दिया। आप इस ज़ुल्म पर एहतेजाज करने के लिए हाशमी ख़ानदान की औरतों के हल्क़े में दरबार में आयीं और अपनी बात पेश करते हुए अपने बाप के एहसानात, अपने शौहर के ख़िदमात, और इस्लामी तालीमात का तज़किरा किया, मीरास की आयतें पेश कीं ताकि 'हसबुना किताबल्लाह' कहने वालों को क़ुर्आन के ज़रीए मनवाया जा सके और उनसे अपने बाप की मारीस का तक़ाज़ा किया जा सके। लेकिन क़ुर्आन पर ईमान का दावा करने वालों पर उसकी आयतों का कोई असर न होता देखकर आपने हेबा के हक़ का तज़किरा फ़रमाया कि मेरे बाबा जान ने इस जायदाद को मुझे हिबा फ़रमा दिया था और उस पर गवाह भी पेश किये, जिसके बाद कुछ रवायतों की बिना पर हाकिमे वक़्त ने माँग को तसलीम कर लिया

लेकिन उमर बीच में आ गये और इक़रारनामा वापस ले लिया, और आप हक़ से महरूम हो गई।

फ़िदक के हक़ से अपनी महरूमी, ख़िलाफ़त के हक़ से शौहर की महरूमी, शिकमे अक़दस में हज़रत मोहसिन की शहादत, पस्लियों का ज़ख़्मी होना, यह वह चीज़ें थीं, जिनकी बिना पर दुख़्तरे पैग़म्बर[स०] बाप के बाद दुनिया मे 75 या 95 दिन से ज़ियादा न रह सकीं और माहे जुमादलऊला की तेरह या जुमादस्सानियः 11 हिजरी की तीसरी तारीख़ को इस दुनिया से रूख़सत हो गईं, जिस पर हज़रत अली[अ०] ने यह मरसिया पढ़ा कि पैग़म्बरे इस्लाम[स०] के बाद ज़हरा का बिछड़ जाना इस बात की दलील है कि दुनिया में किसी भी चाहने वाले को बाक़ी नहीं रहना है और सबको एक दिन रूख़्सत हो जाना है।

आख़िरी वक़्त आप इबादत के लिए हुजरे में तशरीफ़ ले गईं और जनाबे अस्मा से फ़रमाया कि जब तक मेरी तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती रहे, समझना कि दुख़्तरे पैग़म्बर ज़िन्दा है और जब यह आवाज़ें बन्द हो जायें तो समझ लेना कि दुख़्तरे पैग़म्बर ने इन्तेक़ाल किया और मेरे बच्चों का ख़ास ख़याल रखना।

उधर अमीरूल मोमिनीन[अ०] को पास बिठाकर वसीयतें फ़रमाईं कि मेरे जनाज़े को रात के अँधेरे में उठाइयेगा और मेरे दुश्मनों को शिरकत न करने दीजियेगा। मेरे बाद अमामः से अक़्द कीजियेगा और एक दिन मेरे बच्चों के साथ गुज़ारियेगा, ताकि उन्हें माँ की जुदाई का एहसास न होने पाये। बच्चों का भी इस क़दर ख़याल रखा कि अपने हाथों से नहलाया, बालों में कंघा किया, कपड़े धोकर रख दिये खाना तैयार कर दिया ताकि बच्चों को किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाये और अमीरूल मोमिनीन[अ०] को भी

ज़हमत न हो। जिस सूरतेहाल को देखकर अमीरूल मोमिनीन[अ०] ने इस ग़ैर मामूली मसरूफ़ियत की वजह पूछी तो फ़रमाया कि मैंने ख़ाब में बाबा को देखा है और मेरा ख़ाब सच्चा है। लेहाज़ा आज मैं बाबा की ख़िदमत में जा रही हूँ।

अमीरूल मोमिनीन[अ०] ने वसीयत के मुताबिक़ ग़ुस्ल व कफ़न दिया, बच्चों ने माँ को रूख़सत किया और जनाज़ा रात के अँधेरे में उस ताबूत के अन्दर उठाया गया जो आपने अपनी ज़िन्दगी में तैयार कराया था और इस तरह कुछ घर वालों और ख़ुलूस रखने वालों के बीच जनाज़ा दफ़्न कर दिया गया।

दूसरे दिन यह ख़बर आम हुई तो मुसलमानों ने अपनी शर्मिन्दगी को दूर करने के लिए दोबारा क़ब्र खोलकर जनाज़ा निकाल कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का इरादा किया, जिस पर अमीरूल मोमिनीन[अ०] को ग़ुस्सा आ गया और आप तलवार लेकर मैदान में आ गए कि ख़बरदार ! कोई ज़हरा[अ०] की क़ब्र के साथ बेअदबी न करने पाये और इस तरह यह मुसीबत टल गई और क़ब्रे ज़हरा[अ०] महफ़ूज़ रह गई, जिसके बाद क़ब्र पर रौज़ा भी बना और सैकड़ों साल तक लोग क़ब्र की ज़ियारत करते रहे। यहाँ तक कि 8 शव्वाल सन् 1344 हिजरी में शाह सऊद ने रौज़े को गिरवा दिया और क़ब्र का निशान भी मिटवा दिया।

रौज़े के गिरने के बाद से लगभग 65 साल तक वह हुज्रा बाक़ी रहा,जिसमें मासूमा अपने बाबा की वफ़ात के बाद बैठकर रोया करती थीं। लेकिन सन् 1988 में वह हुजरा भी गिरवा दिया गया और अब उसके आसार भी तक़रीबन ख़त्म हो चुके है।

## :: चन्द मिसाली किरदार ::

आपकी वालिदा मलीकतुल अरब थीं, लेकिन आप ने कभी राहत व आराम और ज़ेब व ज़ीनत की ज़िन्दगी को पसन्द नहीं किया, बल्कि हमेशा आपने किरदार को एक नमूनए अमल बनाकर रखा।

आपके वालिदे मोहतरम सबसे बड़े और सबसे आख़िरी नबी व रसूल थे, और आप उनकी इकलौती बेटी थीं, लेकिन आपने कभी इस रिश्ते से फ़ायदा नहीं उठाया और सारी ज़िन्दगी हर तरह की मुसीबतें व ज़हमतें बर्दाश्त करती रहीं।

आपके शौहर अमीरूल मोमिनीन[अ०] थे, लेकिन आपने तमाम ज़िन्दगी किसी तरह की फ़रमाइश नहीं की और हमेशा शौहर की ख़िदमत करने के बाद भी आख़िरी वक़्त हज़रत अली[अ०] से यह कहा कि अगर कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फ़रमा दीजिएगा।

आपके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार थे और उनके लिए जन्नत के कपड़े और जन्नत का खाना भी आ जाता था। लेकिन इसके बाद भी फ़ाक़ों में ज़िन्दगी गुज़ार दी यहाँ तक कि रोज़ा रखने के बाद इफ़्तार का सामान यतीमों, मिस्कीनों व असीरों के हवाले कर दिया, जिस पर 'सूरए दहर' की आयत में अल्लाह ने तारीफ़ की।

आपको रब्बुल आलमीन ने पाँच औलाद अता की थीं, इमाम हसन[अ०], इमाम हुसैन[अ०], हज़रत ज़ैनब[अ०], हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत मोहसिन और आपने सबको ख़ुदा की राह में कुर्बान कर दिया। फ़रजन्द सब शहीद हुए और बेटियाँ ख़ुदा की राह में यूँ

असीर हुई कि तमाशाईयों के मजमे में दरबारों और बाज़ारों में हाज़िर होना पड़ा।

आप काएनात की अकेली औरत हैं जो खुद भी मासूमा हैं और शौहर भी मासूम है।

आप काएनात की वह अकेली औरत हैं, जिनकी विलादत के लिए पैग़म्बर[स०] को मेअ्राज में जन्नत का सेब दिया गया था।

आप काएनात की वह बेमिसाल औरत है, जिन्हें दो इमामों की माँ बनने का शरफ़ हासिल हुआ है और जिनकी नस्ल में इमामत क़ायम रह गई है।

आप वह हैं, जिनकी मद्‌ह और तारीफ़ 'सूरए कौसर', 'आयते तत्‌हीर', 'आयते मुबाहिला' और 'सूरए दह्‌र' जैसी कुर्आनी आयतों में की गई है।

आप रसूले अकरम[स०] की इकलौती बेटी हैं, जिन्हें उम्मे अबीहा भी कहा गया और बिज़अतुर्रसूल भी। उम्मे अबीहा का मतलब है अपने बाप की माँ और बिज़अतुर्रसूल के मानी हैं रसूल[स०] का टुकड़ा।

आप वह अकेली गवाह हैं, जिसने मुबाहिले में रिसालत की गवाही दी है और फ़िदक के मौक़े पर इमामत की गवाही दी है।

आप वह अकेली ख़ातून हैं, जिनसे रसूले अकरम[स०] ने हर सफ़र के मौक़े पर सबसे आख़िर में अलविदा कहा है और वापसी पर सबसे पहले मुलाक़ात की है।

आप वह मासूमः हैं जिनकी ज़ाती इस्मत के अलावा उनके रिश्ते भी मासूम थे। बाप मासूम, शौहर मासूम और दो फ़रज़न्द

मासूम, और सबको पहचनवाने का ज़रीआ भी आप ही की ज़ात को बनाया गया है।

आप ऐसी इबादत करने वाली हैं, कि नमाज़ के वक़्त ज़मीन से आसमान तक एक नूर का सिलसिला क़ायम हो जाता था।

आप ऐसी सख़ावत करने वाली हैं, जिसने फ़ाकों में भी फ़क़ीर को ख़ाली हाथ वापस नहीं जाने दिया है और अपनी सख़ावत का भरम बरक़रार रखा।

आप वह पाकदामन औरत हैं, जिनका पर्दा सारी ज़िन्दगी बरक़रार रहा कि बाप के साथ अन्धा सहाबी भी आ गया तो उसे भी घर में दाख़िल होने की इजाज़त न दे सकीं और मरने के बाद भी जनाज़ा उठवाने के लिए ताबूत का इन्तेज़ाम फ़रमाया, जिससे क़द व क़ामत का अन्दाज़ा न हो सके।

आप ऐसी सूझबूझ वाली हैं कि जब रसूले अकरम[स०] के सवाल पर कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है ? कोई जवाब न दे सका तो आपने फ़रमाया कि औरत के हक़ में सबसे बेहतर यह है कि न मर्द उसे देखे और न वह मर्दों को देखे।

# :: दो ग़लत फ़हमियाँ ::

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

कुछ तारीख़ लिखने वालों ने आपकी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम के बारे में यह रवायत बयान की है कि उनका अक़्द उमर बिन ख़त्ताब से हुआ था और इस सिलसिले में एक दास्तान भी बयान की है। हालाँकि यह वाक़िआ इन्तेहाई बेबुनियाद है। आपकी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का अक़्द हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र के भाई हज़रत मुहम्मद से हुआ था और आप वाक़िअए कर्बला में शरीक रहीं, और शाम के क़ैदख़ाने से वापसी पर आपने मदीने के दरो दीवार को देख कर मरसियः भी पढ़ा।

उमर बिन ख़त्ताब की बीवी उम्मे कुलसूम बिन्ते अबीबक्र थीं, जिनकी माँ अस्मा बिन्ते उमैस थीं। यह मुहम्मद बिन अबीबक्र की बहन और हज़रत अली[अ०] की पालक थीं, जिनकी बिना पर उनको अली[अ०] की बेटियों में शुमार किया गया है। जिस तरह आपने मुहम्मद को अबीबक्र के सुल्ब से अपना बेटा कहा है। उम्मे कुलसूम के एक बेटे ज़ैद बिन उमर बिन ख़त्ताब थे, जिनका ज़िक्र तारीख़ों में मौजूद है।

(2) हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] के बारे में रसूले अकरम[स०] के इस इरशाद कि... *"फ़ातिमः[अ०] मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ़ पहुँचायी उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचायी"*। इस हदीस के पीछे एक कहानी गढ़ दी गयी कि हज़रत अली[अ०] ने अबू जह्ल की बेटी से अक़्द करना चाहा तो हज़रत फातिमः[अ०] ने इस बात की शिकायत रसूले अकरम[स०] से की और आपने फ़रमाया कि फ़ातिमः[अ०] को अज़ीयत देने वाला मुझे अज़ीयत देने वाला है, और इस तरह रवायत

का रूख़ फातिमः ज़हरा[अ०] के पहलू शिकस्ता करने वालों, उनकी जायदाद पर क़ब्ज़ा करने वालों और उन्हें रसूल[स०] के बाद मुसलसल अज़ीयत देने वालों की तरफ़ से हटाकर हज़रत अली[अ०] की तरफ़ मोड़ दिया गया। हालाँकि खुली हुई बात है कि यह बात सही भी होती तो इसमें रसूल[स०] की बेटी की तकलीफ़ का कोई मस्अला नहीं था। यह अमीरूल मोमिनीन[अ०] का एक क़ुर्आनी हक़ था, जिसे वह इस्तेमाल कर सकते थे और हज़रत फ़ातिमः[अ०] को क़ुर्आनी हुक्म पर अमल करने से क़तई कोई अज़ीयत नहीं हो सकती थी और न रसूले अकरम[स०] क़ुर्आने करीम पर अमल करने से कोई एतेराज़ कर सकते थे। फिर अगर ख़ुद रसूले अकरम[स०] अबू सुफ़ियान की बेटी से अक़्द कर सकते हैं तो दूसरे को अबूजह्ल की बेटी से अक़्द करने को किस तरह रोक सकते हैं।

और अगर ख़ुद एक ही वक़्त में नौ बीवियों को अपने घर में जगह दे सकते हैं और किसी बीवी की नाराज़गी या उसके घर वालों की नाराज़गी का ख़याल नहीं है तो अली[अ०] की इस बात को किस तरह नाराज़गी की वजह बता सकते हैं।

और फिर क्या अली[अ०] के लिए अबूजह्ल की बेटी के अलावा अरब में कोई औरत नहीं थी कि तारीख़ लिखने वालों ने उस इस्लाम के दुश्मन का सहारा लिया है और मुहद्देसीन ने इस मनगढ़त क़िस्से को हदीस का प्रीफ़ेस बना दिया है। यह एक हक़ीक़त है कि जिस तरह रसूले अकरम[स०] ने हज़रत ख़दीजः[अ०] के होते हुए दूसरा अक़्द नहीं किया है उसी तरह हज़रत फ़ातिमः[अ०] की ज़िन्दगी में अमीरूल मोमिनीन[अ०] ने कोई दूसरा अक़्द नहीं किया है और यह माँ–बेटी का एक ख़ास शरफ़ है, जिसमें कोई दूसरी औरत शरीक नहीं है।

# हज़रत ज़हरा^(अ०) की ज़िन्दगी की कुछ ख़ास बातें

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

हज़रत फ़ातिमः ज़हरा^(अ०) के किरदार में पायी जाने वाली खूबियों और अच्छाईयों में कुछ ऐसी अच्छाईयाँ हैं, जिनका तअल्लुक़ आमतौर पर अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से होता है, लेकिन इस बारे में यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अल्लाह ने उनको इस फ़ज़्ल व करम के क़ाबिल समझा है और खूबियाँ ये हैं :–

(अ) काएनात में कोई औरत ऐसी नहीं है, जिसके तमाम रिश्ते इस क़दर बुलन्द व बरतर हों, जिस क़दर बुलन्द व बरतर रिश्ते फ़ातिमः ज़हरा^(अ०) के हैं कि आपका बाप काएनात के तमाम इन्सानों से बालातर और आपका शौहर उम्मते इस्लामिया के तमाम नामी गेरामी लोगों से बेहतर बल्कि अम्बिया व मुर्सलीन से अफ़ज़ल और आपके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार और इमामत के मन्सब के मालिक हैं।

(ब) वतन के एतेबार से पैदाइश की जगह मदीनए मुनव्वरः और रिसालत का घर।

(स) ख़ानदान के एतेबार से काएनात का सबसे बेहतरीन बनी हाशिम का घराना।

(द) ज़ुबान के एतेबार से क़ुर्आनी अन्दाज़ में बातचीत करने वाली।

(य) जिसकी कनीज़ क़ुर्आन की ज़ुबान में बातें करने वाली हो। इस तरह के बेशुमार खुसूसियात हैं जो दूसरे उम्मत के लोगों के मुक़ाबले में हासिल हैं।

ऊपर दी हुई इन ख़ूबियों के अलावा हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] के ज़ाती कमाल की कुछ क़िस्में हैं।

इसमें एक क़िस्म वह है जिसका तअल्लुक़ जिस्म से है।

और दूसरी क़िस्म वह है, जिसका तअल्लुक़ रूहानियत और मअ्नवीयत से है। रूहानियत व मअ्नवीयत की भी दो क़िस्में हैं। एक का तअल्लुक़ इल्मी पहलू से है और एक का तअल्लुक़ अमली पहलू से है। नीचे उन तमाम कमालात और ख़ूबियों का हल्का सा नक़्शा पेश किया जा रहा है।

---

इमाम मुहम्मद बाक़िर अ० से रवायत है कि एक औरत पैग़म्बरे इस्लाम[स०] के पास आयी और उसने पूछा कि औरत के ऊपर उसके शौहर के क्या हुकूक़ हैं ? रसूलुल्लाह[स०] ने फ़रमाया कि उसकी इताअत करे, उसकी नाफ़रमानी न करे, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके घर से कोई चीज़ सदक़े के तौर पर न दे, उसकी इजाज़त के बग़ैर मुस्तहब रोज़े न रखे और उसे अपने से दूर न करे, उसकी इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर न निकले। उस औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल ! मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक़ किसका है ? फ़रमाया कि उसके माँ–बाप का। फिर उसने पूछा कि औरत पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? आपने फ़रमाया कि उसके शौहर का।

आदाबे इस्लामी(2) पेज–127

# जिस्म के एतेबार से कमाल

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(1) बुतूल : शीअः व सुन्नी उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमः[अ०] को बुतूल क़रार दिया है और उन तमाम बातों से अलग रखा है, जो आमतौर से हर औरत को हर महीने पेश आती हैं।

अहले सुन्नत के उलमा में "यनाबीउल मवद्दत" नाम की किताब में अल्लामा क़न्दूजी, "मनाक़िब" नाम की किताब में अल्लामा सालेह कशफ़ी, "अर्जहुल मतालिब" नाम की किताब में अल्लामा अमृतसरी, "तारीख़े बग़दाद" लिखने वाले हाफ़िज़ अबूबक्र शाफ़ेई, "तारीख़े कबीरे इब्ने असाकर" लिखने वाले, ज़ख़ाइरूल उक़बा अल्लामा तबरी और हाफ़िज़ सुयूती ने "ख़साइस" में इस हक़ीक़त का तज़केरा किया है, जिसके बाद किसी शक और शुब्हे की गुंजाइश नहीं रह जाती है और न इस शक व शुब्हे का कोई एतेबार है कि यह हर औरत के औरत होने के लिए ज़रूरी है, या यह कि यह खून हमल के ज़माने में बच्चे की ग़िज़ा बन जाता है। लेहाज़ा इस आदत से पाक औरत न हामिलः हो सकती है और न औलाद वाली। इसलिए कि इन दोनों बातों का जवाब जनाबे मरियम की ज़िन्दगी में मौजूद है कि एक तरफ़ मरियम ताहिरा थीं और माद्दी बातों से पाक थीं और दूसरी तरफ़ कुदरत ने आम फ़ितरत के क़ानून से हटकर उन्हें औलाद वाला बना दिया था। जिसका मतलब ही यह है कि फ़ित्री क़ानून एक हक़ीक़ी क़ानून है। लेकिन उसका पाबन्द फ़ित्रत का पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि वह अपने मुक़र्रर किये हुए क़ानून में बदलाव भी पैदा कर सकता है।

अल्लामा मजलिसी ने इस मस्अले पर रोशनी डालते हुए इस बात की तरफ़ भी इशारा किया है कि अमीरूल मोमिनीन[अ०] के हज़रत फ़ातिमः[अ०] की ज़िन्दगी में दूसरा अक़्द न करने का एक राज़ यह भी हो सकता है कि रब्बुल आलमीन ने हज़रत फ़ातिमः[अ०] को तमाम माद्दी कमियों से पाक रखा था। लेहाज़ा दूसरे अक़्द का कोई सबब नहीं था। अलावा इसके कि कोई औरत हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की अज़मत और मुहब्बत में शरीक व हिस्सेदार भी नहीं हो सकती है।

हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] को बुतूल क़रार देने का एक अहम सबब यह भी था कि औरत उन दिनों में इबादतों से महरूम हो जाती है और उसके आमाल में एक तरह की कमी पैदा हो जाती है। रब्बुल आलमीन ने यह पसन्द नहीं किया कि हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की इबादतों में किसी तरह की कमी पैदा हो और उन्हें किसी भी ज़माने में इबादतों से महरूम रखा जाये और इस तरह यह बात रद्द किये जाने के डर के बग़ैर कही जा सकती है कि दुनिया की हर और इबादतों में कमी की शिकार हो सकती है। लेकिन हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] इस एतेबार से भी हर तरह पूरी उतरती हैं और उनके किरदार में किसी कमी की गुंजाइश नहीं है। बल्कि दूसरे लफ़्ज़ों में यह भी कहा जा सकता है कि औरत को आमतौर से तीन कमियों वाला बनाया गया है। ईमान की कमी, मीरास की कमी और अक़्ल की कमी कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। रब्बुल आलमीन ने हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] को तीनों कमियों से पाक रखा है। बुतूल बनाकर ईमान की कमी व इबादत से पाक बनाया। पैग़म्बर[स०] का अकेला वारिस बनाकर मीरास की कमी से बचाया और मासूमा बनाकर गवाही की कमी से पाक व पाकीज़ा बना दिया और यह तमाम कमालात आपके अलावा किसी और औरत को हासिल नहीं हो सके।

(2) अज़रा : हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की जिस्म के एतेबार से ख़ास बातों में एक ख़ास बात यह भी है कि परवरदिगारे आलम ने उन्हें हमेशा के लिए अज़रा क़रार दिया था और उनकी यह सिफ़त जन्नत की उन हूरों जैसी थी जिन्हें कुंवारी बनाया गया था और इसी एतेबार से रसूले अकरम[स०] ने हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] को "हौराए इन्सीयः" के लफ़्ज़ से याद किया है कि हज़रत फ़ातिमः[अ०] ज़ाहिरी एतेबार से इंसान हैं, लेकिन बातिनी एतेबार से जन्नत की हूरों की जैसी अच्छाईयाँ रखने वाली हैं।

---

रसूलुल्लाह[स०] ने इरशाद फ़रमाया कि जो औरत अपने शौहर की बदअख़लाक़ियों पर सब्र करे तो ख़ुदावन्दे आलम उसे आसियः बिन्ते मुज़ाहिम के बराबर सवाब देगा।

नोट :– हज़रत आसियः बिन्ते मुज़ाहिम फ़िरऔन की बीवी थीं।

इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ०] फ़रमाते हैं कि परवरदिगारे आलम ने मर्दों के ऊपर भी जेहाद दाजिब किया है और औरतों पर भी। मर्द का जेहाद यह है कि ख़ुदा की राह में अपने माल और ख़ून की इस तरह बाज़ी लगा दे कि उसी राह में क़त्ल हो जाये। और औरत का जेहाद यह है कि शौहर की वजह से उसे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर सब्र करे।

आपने यह भी फ़रमाया कि औरत का जेहाद अच्छी शौहरदारी यानी शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करना है।

आदाबे इस्लामी(2) पेज–128 व 129

# रूहानी कमालात

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(1) इन कमालात में सबसे खुला हुआ कमाल आपका मुहद्दिसः होना है, जिसका मतलब होता है हदीस बयान करने वाली या बात करने वाली। चूँकि आप फ़रिश्तों से बातें किया करती थीं और फ़रिश्ते आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर कलाम किया करते थे। नेकियों के हुक्म देने और बुराईयों से रोकने के सिलसिले में व क़ुर्आनी आयतों के बारे में 'वही' रसूले अकरम[स०] पर तमाम हो गई थी। लेकिन दूसरे मामलात की 'वही' और उसके इशारों का सिलसिला बराबर जारी था। जिस तरह कि क़ुर्आने मजीद ने जनाबे मूसा की माँ और जनाबे मरियम के सिलसिले में 'वही' का ज़िक्र किया है और उनके मलाएका से बातें करने का तज़केरा किया है। हज़रत फ़ातिमः[अ०] के इस मुहद्दिसः होने की ख़ास बात यह है कि आपने उन तमाम बातों को इस तरह जमा कर लिया कि एक किताब तैयार हो गयी, जिसे "मुस्हफ़े फ़ातिमः"[अ०] कहा जाता है और जिसके बारे में इमाम सादिक़[अ०] ने फ़रमाया है कि यह सहीफ़ः लम्बाई और मोटाई के एतेबार से इस कुर्आन का तीन गुना है। लेकिन इसमें कुर्आन के मआनी व मतलब को दोहराया नहीं गया है, बल्कि उन तमाम बातों का ज़िक्र है जो क़यामत तक होने वाली हैं।

इस मक़ाम पर यह ग़लतफ़हमी न हो कि यह कोई दूसरा क़ुर्आन है, जिस पर किसी क़ौम या मज़हब ने भरोसा किया है। क़ुर्आन एक ही क़ुर्आन है, जिसका शरीक व हिस्सेदार अहलेबैते अत्हार[अ०] को क़रार दिया गया है। यह एक किताब है जिसे डिक्शनरी के एतेबार से "मुस्हफ़" कहा गया है कि मुस्हफ़ उस

किताब को कहते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें इकट्ठा की गयी हों। कुर्आने मजीद को भी मुस्हफ़ इसीलिए कहा जाता है कि उसमें तमाम बातें जमा हैं। वरना डिक्शनरी के एतेबार से सहीफ़ः हर किताब को कहा जा सकता है।

कुर्आने मजीद में अलग–अलग जगहों पर इलहाम और इलक़ा को 'वही' कहा गया है। इलहाम और इलक़ा के मानी हैं अल्लाह की तरफ़ से दिल में किसी बात का आ जाना या समझ जाना। इसका तअल्लुक़ सिर्फ़ कुर्आनी आयतों के उतरने और शरीअत के अहकाम आने से नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल शहद की मक्खी के बारे में भी हुआ है। आदमी तो फिर आदमी है और फिर अगर आदमी भी 'ख़ैरूल बशर' यानी बेहतरीन आदमी हो।

(2) तहारत : मालिके काएनात ने हज़रत फ़ातिमः[अ०] को तत्हीर का मरकज़ बनाया है और आयते तत्हीर के उतरने के लिए उनके घर और उनकी चादर को चुना है, जिसे बहुत सारे हदीस लिखने वालों और तफ़सीर बयान करने वालों ने माना है और 'हदीसे किसा' में इस वाक़िए की तफ़सील मौजूद है।

(3) सदाक़त : मुबाहले के मैदान में रसूले अकरम[स०] इस्लाम के अक़ीदों की हक़्क़ानियत, कुर्आन की बड़ाई और अपनी सच्चाई के गवाह लेकर निकले तो औरतों में हज़रत फ़ातिमः[अ०] के अलावा कोई न था, जो इस बात की अलामत है कि मर्दों में चार मर्द एक ही वक़्त में एक जैसे सच्चे थे। लेकिन औरतों में हज़रत फ़ातिमः[अ०] के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसे रिसालत का गवाह बनाकर पेश किया जा सके और यह इस बात की भी दलील है कि हज़रत फ़ातिमः[अ०] अकेली ही रिसालत की गवाही के लिए काफ़ी हैं तो इनसे किसी मामले में गवाही तलब करना कुर्आने मजीद से मुँह मोड़ने और उसकी मुख़ालिफ़त करने के बराबर है।

(4) शुजाअत : यानी बहादुरी, यह भी दो तरह की होती हैं। एक बहादुरी दिल और कलेजे की ताक़त से ज़ाहिर होती है जो आमतौर से ख़तरों की जगहों और लड़ाई के मैदानों में सामने आती है और एक बहादुरी ज़ुबान के ज़ोर से ज़ाहिर होती है, जहाँ ज़ालिम बादशाह के सामने हक़ बात का एलान किया जाता है।

मालिके कायनात ने हज़रत फ़ातिमः[अ०] को दोनों तरह की बहादुरी दी थी। दिल और कलेजे की कूवत ऐसी थी कि जब रसूले अकरम[स०] का सारा घर कुफ़्फ़ार व मश्रिकीन के घेरे में घिरा हुआ था और आप हिजरत करके मदीने की तरफ़ तशरीफ़ ले गये थे। और आपके घर में अगर एक तरफ़ शेरेखुदा अलीये मुर्तज़ा आपके[स०] पर लेटे हुए थे तो दूसरी तरफ़ हज़रत फ़ातिमः[अ०] निहायत ही कमसिनी के आलम में इस घेराव का मुक़ाबला कर रही थीं और आप पर किसी तरह का डर व दहशत नहीं थी। जबकि कुफ़्फ़ार के डर से बड़े–बड़े लोग डरे व सहमे जा रहे थे।

खुद ओहद् के मैदान में भी इस बहादुरी का एक मन्ज़र देखने में आया, जहाँ कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के डर से इस्लाम के सिपाहियों ने मैदान छोड़ दिया था। लेकिन हज़रत फ़ातिमः[अ०] जनाबे सफ़ीयः के साथ मैदान की तरफ़ आयीं और जनाबे हमज़ः के लाशे पर रोयीं और अपने बाप के ज़ख़्मों का इलाज भी किया।

ओहद् की जंग का नक़्शा देखने वाले और क़ुर्आने मजीद में असहाबे रसूल[स०] के भाग जाने की दास्तान पढ़ने वाले हज़रत फ़ातिमः[अ०] की इस कूव्वते क़ल्ब व जिगर की ताक़त का अंदाज़ा कर सकते हैं और उन्हें एहसास हो सकता है कि इस ख़तरनाक मौक़े पर जेहाद के मैदान की तरफ़ क़दम बढ़ाना किस हिम्मत और ताक़त का काम है।

ज़ुबान व अदब के ज़रीए हज़रत फ़ातिमः[अ०] की बहादुरी उस वक़्त ज़ाहिर हुई कि जब रसूले अकरम[स०] के बाद अपने हक़ के लिये दरबारे ख़िलाफ़त में आयीं और वह तारीख़ी ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, जिसने दरबार वालों के दिल हिला दिये और हाकिमे वक़्त को आँसू बहाने पर मजबूर कर दिया। तारीख़ में इस ख़ुत्बे और इसके मुतअ्ल्लिक़ लोगों का तफ़सीली तज़किरा मौजूद है और इस बहादुरी व हिम्मत का मुकम्मल अंदाज़ा किया जा सकता है।

इस ख़ुत्बे में इस्लामी अहकाम की वजहें, क़ुर्आनी आयतों से दलीलें, अंसार व मुहाजिरीन की ग़ैरत को चैलेंज, अपने हक़ के सुबूत और औरतों के हुक़ूक़ के बारे में जिन बातों का तज़किरा किया गया है, उनका होश पुरसुकून हालात में नहीं रह जाता है, न कि ऐसे संगीन हालात में और ऐसे सख़्त माहौल में। ऐसा ख़ुत्बः एक औरत की ज़िन्दगी का वह शाहकार है, जिसे मोअ्जिज़ः व क़रामत से कम दरजा नहीं दिया जा सकता है।

---

रसूलुल्लाह[स०] ने फ़रमाया कि जो औरत भी अपने शौहर के साथ नर्म रवैया न रखे और उससे ऐसी माँग करे, जो उसकी हैसियत से बाहर हो तो उस औरत की कोई नेकी क़बूल नहीं होगी। और वह अल्लाह की नाराज़गी के साथ उसकी बारगाह में पहुँचेगी।

आदाबे इस्लामी(2) पेज– 129

# तसबीहे फ़ातिमः[अ०]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने मिल्लते इस्लामिया को जो चीज़ें दी हैं उनकी भी दो क़िस्में हैं।

हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने मिल्लते इस्लामिया को तसबीह भी सिखायी है और इस्लाम को बचाने वाले भी तैयार किये हैं। आपकी तसबीह आज भी हर नमाज़ को पूरा करने वाली और हर इबादत की जान है। इसमें 34 बार 'अल्लाहु अकबर', 33 बार 'अलहम्दु लिल्लाह', 33 बार 'सुब्हानल्लाह' है।

शुरू में यह तसबीह धागों की गिरहों से बनाई गई। उसके बाद जब जनाबे हम्ज़ः की शहादत हुई तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने उनकी क़ब्र की मिट्टी से तसबीह के दाने तय्यार किये और इसी अमल को देखते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन[अ०] ने इमाम हुसैन[अ०] की क़ब्र की मिट्टी से तसबीह के दाने तैयार किये। जिसका सिलसिला आज तक जारी है और इसके बारे में यह रवायत भी है कि ख़ाके शिफ़ा खुद भी तसबीहे परवरदिगार करती रहती है। चाहे कोई तसबीह पढ़ने वाला उन दानों पर ज़िक्रे ख़ुदा न भी करे और यह कोई हैरत में डालने वाली बात नहीं है कि अगर सूरए जुम्अः के मुताबिक़ कायनात का हर ज़र्रः परवरदिगार की तसबीह कर रहा है तो जिन ज़र्रों में मासूम[अ०] का खून हो उनके परवरदिगार की तसबीह करने में क्या तअज्जुब है।

तसबीह के बारे में यह बात भी तवज्जोह के क़ाबिल है कि दाने ख़ुदा के ज़िक्र का ज़रीआ होते हैं। ज़िक्र वही है जो इंसान की ज़ुबान पर होता है, इस बिना पर प्लास्टिक के दानों को ज़रीआ

बनाकर सलवात भी पढ़ी जा सकती है और ख़ाके शिफ़ा के दानों को ज़रीआ बनाकर लअ्नत भी पढ़ी जा सकती है। इसका कोई तअल्लुक़ दानों से नहीं है। दानों पर न सलवात पढ़ी जाती है और न लअ्नत। दाने सिर्फ़ अदद व गिनती करने का ज़रीआ हैं। बल्कि ख़ाके शिफ़ा के दाने ख़ुद भी ज़ालिमों पर उसी तरह लअ्नत करते हैं, जिस तरह परवरदिगार का ज़िक्र करते हैं।

इस्लाम को बचाने वाले देने के सिलसिले में हज़रत फ़ातिमः[अ०] की ख़ुसूसियत यह है कि उन्हें मालिके काएनात ने कौसर का मिसदाक़ क़रार दिया है यानी आपकी नस्ल में बाक़ी रखा और बढ़ाया गया है।

हज़रत फ़ातिमः[अ०] वह पैग़म्बर[स०] की बेटी हैं, जो पैग़म्बर[स०] की नस्ल को बाक़ी रखने का ज़रीआ हैं, जबकि दुनिया में हर इन्सान की नस्ल बेटे के ज़रीए चलती है। अल्लाह ने पैग़म्बरे इस्लाम[स०] की नस्ल को बेटी के ज़रीए बाक़ी रखा है और फिर उसमें इतनी ज़ियादा बरकत दे दी है कि एक अन्दाज़े के मुताबिक़ आज दुनिया में तक़रीबन 30-40 मिलियन सादात पाये जाते है, जिनमें से तक़रीबन 20 लाख इराक़, 30 लाख ईरान, 50 लाख मिस्र में, 50 लाख मग़रिब में, फिर लाखों की तादाद में अल्जज़ाएर, ट्यूनेशिया, जार्डन, सीरिया, लेबनान, सूडान, गल्फ़ और सऊदी अरब में। फिर तक़रीबन 2 करोड़ यमन, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इन्डोनेशिया वग़ैरह में जैसा कि "फ़ातिमतुज़्ज़हरा मिनल महद इलल लहद" नाम की किताब में लिखा हुआ है।

ऊपर दी गयी बातों से हज़रत फ़ातिमः[अ०] में पायी जाने वाली ख़ास बातें और अच्छाईयाँ सामने आती हैं और यह भी मालूम हो जाता है कि हज़रत फ़ातिमः[अ०] के जिन कमालात में दूसरे लोग शरीक हैं, उनमें भी आपको एक ख़ास दरजा हासिल है।

मिसाल के तौर पर अगर नसब के एतेबार से कुछ औरतें मासूम की बेटी या बीवी या माँ हैं। तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] हर एतेबार से इस्मती रिश्ते की मालिक हैं और इनके दो बेटे इमाम हैं।

अगर तहारत के एतेबार से हज़रत मरियम बुतूल हैं, तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] हज़रत अली[अ०] की बीवी और अपने बेटों की विलादत के बावजूद बुतूल हैं।

अगर कुछ औरतों को मलाएका से बातें करने का शरफ़ हासिल हुआ है तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने एक पूरा मुसहफ़ बतौरे विरासत छोड़ा है, जिसमें दो–चार बातें नहीं, बल्कि शुरू से आख़िर तक के हालात व हादिसों का ज़िक्र है।

अगर सच्चाई के एतेबार से हज़रत ईसा की माँ सिद्दीक़ा हैं तो हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] सबसे बड़ी सिद्दीक़ा व सच्ची हैं कि हज़रत मरियम अपनी इस्मत में हज़रत ईसा की गवाही की मोहताज थीं, और हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने मुबाहिले में रसूले अकरम[स०] की सच्चाई की गवाही दी है। अगर बहादुरी के एतेबार से रसूले अकरम[स०] और मौलाए काएनात ने मर्द होकर हिम्मत व बहादुरी का मुज़ाहेरा किया है तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने औरत होने के बावजूद वही हिम्मत व बहादुरी दिखायी है।

अदब और ज़ुबान के लेहाज़ से बहादुरी ज़ाहिर करते हुए अगर मौलाए काएनात ने मुसलमानों के मजमे में खुत्बे दिये हैं तो हज़रत फ़ातिमः[अ०] ने दुश्मनों के मजमे में ख़ुत्बः पढ़ा है और उस वक़्त पढ़ा है कि जब मौलाए काएनात घर में थे और हज़रत फ़ातिमः[अ०] दरबार में तक़रीर कर रही थीं और बातिल को मुकम्मल तौर पर बेनक़ाब कर रही थीं। हज़रत फ़ातिमः[अ०] के शरफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुबाहिले में रिसालत को ज़रूरत पड़ी तो उसकी गवाही दी, और ख़िलाफ़त में इमामत को ज़रूरत पड़ी तो उसकी वकालत का फ़र्ज़ अंजाम दिया।

# ख़ुत्बए फ़िदक

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

फ़िदक की जायदाद छिन जाने के बाद जब आप अपने हक़ को लेने के लिए दरबार में पहुँची हैं तो आपने वहाँ यह तक़रीर फ़रमायी....."सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसकी दी हुई नेअ्मतों पर। उसका शुक्र है, उसके दिये हुए इशारों पर उसका शुक्र है। वह तारीफ़ के क़ाबिल है कि उसने बग़ैर मांगे हुए और पूरी तरह नेअ्मतें दीं, और लगातार ऐसे एहसानात किये जो गिने नहीं जा सकते। न उनका बदला दिया जा सकता है और न उनकी मसलेहतों को समझा जा सकता है। बन्दों से कहा कि शुक्र के ज़रीए नेअ्मतों को बढ़वायें फिर उन नेअ्मतों को पूरा करके और ज़ियादा तारीफ़ करने की मांग की और फिर उन्हीं नेअ्मतों को दोबारा दिया।

मैं गवाही देती हूँ कि ख़ुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक और अकेला है। और इस बात की बुनियाद ख़ुलूस पर है। इसके मानी दिलों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सोच को रोशनी देता है। वह ख़ुदा वह है, जिसको आँखों से देखना, ज़ुबान से उसकी तारीफ़ करना और ख़याल से उसकी हालत जान लेना मुमकिन नहीं है। उसने चीज़ों को सिर्फ़ अपनी क़ुदरत और चाहत के ज़रीये बिला किसी माद्दे और नमूने के पैदा किया है। उसे पैदा करने के लिए नमूने की ज़रूरत न थी, न तस्वीर में कोई फ़ायदा। सिवाय इसके कि वह अपनी हिकमत की मज़बूती को दिखाये और लोग उसकी इताअत की तरफ़ मुतवज्जेह हों, उसकी क़ुदरत ज़ाहिर हो, बन्दे उसकी बन्दगी का इक़रार करें, इबादत का तक़ाज़ा करके अपनी पुकार को ताक़त दे। उसने इताअत पर सवाब और गुनाहगारी पर अज़ाब रखा ताकि लोग उसके ग़ज़ब से दूर हों और जन्नत की तरफ़ खिंच आयें।

•

मैं गवाही देती हूँ कि मेरे वालिद हज़रत मुहम्मद[स०] अल्लाह के बन्दे और वह रसूल हैं, जिनकों भेजने के पहले चुना गया। और बेअ्सत से पहले चुन लिया गया। उस वक़्त कि जब चीज़ें ग़ैब के परदे में छुपी हुई थीं और दूर–दूर तक उनका कोई पता व निशान नहीं था। आप तमाम बातों और मस्अलों, ज़माने में होने वाले वाक़िओं और हादिसों व मुक़द्दर की पूरी तरह पहचान रखने वाले थे। अल्लाह ने आपको भेजा ताकि उसका हुक्म पूरा करें, और जो यक़ीनी तौर पर होने वाली बातें हैं उनको लागू करें। आपने देखा कि उम्मतें अलग–अलग दीनों में बंटी हुई हैं। आग और बुतों की पूजा करती हैं, और ख़ुदा का जान–बूझकर इन्कार करती हैं। आपने अँधेरों में रोशनी फैलायी, दिल के अँधेरों को मिटाया, आँखों से पर्दे उठाये, सही बात बताने और सही रास्ता दिखाने के लिए खड़े हो गये, लोगों को गुमराही से निकाला, अन्धेपन से नजात दिलायी, दीन को मज़बूत किया और सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाया। उसके बाद अल्लाह ने मेहरबानी और चाहत के साथ उन्हें बुला लिया, अब वह इस दुनिया के मुसीबतों से छुटकारा पाकर आराम में हैं। उनको नेक फ़रिश्ते और अल्लाह की रिज़ा घेरे हुए है और उनके सर पर अल्लाह की रहमत का साया है, खुदा मेरे उस बाप पर रहमत नाज़िल करे, जो उसका नबी, 'वही' का अमानतदार, लोगों में चुना हुआ मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा था, उन पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत व बरकत।

खुदा के बन्दो ! तुम उनके हुक्म का मरकज़, उनके दीन व 'वही' को हासिल करने वाले, अपने नफ़्स पर अल्लाह के अमीन, और उम्मतों तक उसके पैग़ाम को पहुँचाने वाले हो। तुम्हारा ख़याल है कि तुम्हारा उस पर कोई हक़ है, हालाँकि तुम में उसका वह अहद् मौजूद है, जिसे उसने भेजा है और वह बक़ीयः है जिसे अपनी

ख़िलाफ़त दी है और वह ख़ुदा की बोलती हुई किताब, सच्चा कुर्आन, फैलता हुआ नूर, उजाला कर देने वाली रोशनी, जिसकी सूझबूझ ज़ाहिर और जिसकी बातें खुली हुई हैं, जिसकी चमकती हुई सामने की बातें, जिसके पीछे–पीछे चलना दूसरों को लालच दिलाने वाला, जो अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ़ ले जाने वाला और जिसकी बातों का सुनना नजात का ज़रीआ है। उसी से अल्लाह की दलीलें रौशन हैं, उसके फ़राएज़ उसी की वजह से सामने और हराम चीज़ें छुपी हुई हैं, अल्लाह की रौशन निशानियों वाला, उसकी दलीलों के लिए काफ़ी हो जाने वाला, उसकी फ़ज़ीलतों का नुमाइन्दा है, और उसी से अल्लाह की लाज़िमी तालीमात और वह अहकाम जिनमें छूट दी गयी है, का अन्दाज़ा होता है।

उसके बाद ख़ुदा ने ईमान को शिर्क से पाक करने, नमाज़ को घमण्ड से रोकने, जक़ात नफ़्स को साफ़ करने और रोज़ी को बढ़ाने, रोज़े को ख़ुलूस बढ़ाने, हज को दीन के कूवत पहुँचाने, अद्ल को दिलों के जोड़ने, हमारी इताअत को मिल्लत के आर्गेनाइज़ करने, हमारी इमामत को बिखराव से रोकने, जेहाद को इस्लाम के इज़्ज़त दिलाने, सब्र को अच्छा बदला दिलाने, नेकियों की हिदायत को लोगों के बीच अच्छाईयाँ फैलाने, माँ–बाप के साथ नेक बतार्व को अज़ाब से बचाने, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक को नस्ल बढ़ाने, बदले को खून बचाने, नज़्र के पूरा करने को बख़्शिश का वसीला, नाप–तोल को धोखाधड़ी का तोड़, शराब को हराम करके गन्दगी से पाक करने, तोहमत से परहेज़ को लअ्नत से बचाने चोरी छोड़ने को किरदार को पाक रखने का सबब बनाया। शिर्क को हराम किया। शिर्क को हराम किया ताकि अल्लाह को पालने वाला मानने में ख़ुलूस पैदा हो। इसलिए अल्लाह से बाक़ायदा डरो और बग़ैर मुसलमान हुए न मरो। उसने जिन बातों का हुक्म दिया है,

उन्हें करो और जिन बातों से रोका है उन्हें न करो। इसलिए कि उसके बन्दों में उससे डरने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्म वाले हैं।

लोगो ! यह जान लो कि मै फ़ातिमः हूँ और मेरे बाप मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] हैं, यही अव्वल व आख़िर कहती हूँ, और न ग़लत कहती हूँ और न इधर–उधर की, वह तुम्हारे पास रसूल[स०] बनकर आये। वह तुम्हारी ज़हमतों को देखकर बहुत दुखी थे, तुम्हारी भलाई चाहने वाले और ईमान वालों के लिए रहम करने वाले व मेहरबान थे, अगर तुम उन्हें और उनसे निस्बत को देखो तो तमाम औरतों में सिर्फ़ मेरा बाप, और तमाम मर्दों में सिर्फ़ मेरे चचा के बेटा और तमाम मर्दों में सिर्फ़ मेरे शौहर (अली[अ०]) का भाई पाओगे और इस निस्बत का क्या कहना ?

मेरे बाप ने खुलकर खुदा के पैग़ाम को पहुँचाया। शिर्क करने वालों से बेपरवाह होकर, उनकी गर्दनों को झुकाकर और उनके सरदारों को ख़त्म करके ख़ुदा के दीन की तरफ़ बहुत ही होशियारी और बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को बुलाया। वह बुतों को तोड़ रहे थे और मुश्रिकीन के सरदारों का सर नीचा कर रहे थे, यहाँ तक कि मुश्रिकीन हारे, वह पीठ फेर कर भाग गये। रात ख़त्म हो गई, हक़ की रोशनी ज़ाहिर हो गई, दीन के ज़िम्मेदार का बोलबाला हो गया शैतानों की ज़ुबानें बन्द हो गयीं, नेफ़ाक़ तबाह हुआ। कुफ़्र की गिरहें खुल गई और तुम लोगों ने ख़ुलूस की बातों को उन रौशन चेहरे और फ़ाक़ा करने वाले लोगों से सीख लिया, जिनसे अल्लाह ने हर तरह की नजासत को दूर रखा है और तहारत का हक़ अदा कर दिया है। तुम जहन्नम के किनारे थे मेरे बाप ने तुम्हे बचाया, तुम हर लालची के लिए माले ग़नीमत और हर जल्दी करने वाले के लिए चिंगारी थे, हर पैर के कुचले हुए थे। गन्दा पानी

पीते थे, पत्ते चबाते थे, ज़लील और पस्त थे। हर वक़्त चार तरफ़ से हमले का अंदेशा था, लेकिन खुदा ने मेरे बाप के ज़रीए तुम्हें इन तमाम मुसीबतों से बचा लिया।

ख़ैर ! इन तमाम बातों के बाद भी जब अरब के नामवर, सर चढ़े बहादुर और अहले किताब के बाग़ी लोगों ने जंग की आग भड़काई तो ख़ुदा ने उसे बुझा दिया, या जब भी शैतान ने सींग निकाली या मुश्रिकों ने मुँह खोला तो मेरे बाप ने अपने भाई (अली[अ०]) के ज़रीए उनके गले को दबा दिया, वह उस वक़्त तक नहीं पलटे जब तक उनके कानों को ऐंठ नहीं दिया और उनके शोलों को तलवार के पानी से बुझा नहीं दिया, वह अल्लाह के मामले में ज़हमत उठाने वाले और कोशिश करने वाले थे और तुम ऐश की ज़िन्दगी आराम, सुकून व चैन के साथ गुज़ार रहे थे। तुम हमारी मुसीबतों का इन्तेज़ार करने वाले और हमारे लिए बुराई चाहने वाले थे, तुम लड़ाई से मुँह मोड़ते थे और मैदाने जंग से भाग जाते थे, फिर जब अल्लाह ने अपने नबी के लिए नबियों के घर और चुने हुए लोगों की जगह (आख़ेरत) को पसन्द कर लिया यानी वह इस दुनिया से रूख़्सत हो गये तो तुम्हारा नेफ़ाक़ सामने आ गया, दीन की चादर पुरानी हो गई, गुमराहों की तरफ़ से एलान होने लगा, जिनको कोई नहीं जानता था वह सामने आ गये, बातिल लोगों के दूध की धारें बह-बहकर तुम्हारे आँगन में आ गईं। शैतान ने सर निकालकर तुम्हें आवाज़ दी तो तुम्हें अपनी पुकार पर दौड़ पड़ने वाला और अपनी बारगाह में इज़्ज़त हासिल करने वाला। तुम्हें उठाया तो तुम हल्के दिखाई दिये, भड़काया तो ग़ुस्सेवर साबित हुए। तुमने दूसरे के ऊँट पर निशान लगा दिया, और दूसरे के चश्में पर जा डटे, हालाँकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज़ख़्म हरा है, भरा नहीं है और रसूल[स०] क़ब्र में सो भी नहीं सके, यह जल्दी तुमने

फ़ित्ने के खौफ़ से की। हालाँकि फ़ित्ने ही में गिरे, और जहन्नम तो तमाम कुफ़्फ़ार को घेरे हुए है।

तुम्हें देखकर अफ़सोस होता है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारे बीच ख़ुदा की किताब मौजूद है, जिसकी बातें बिलकुल ज़ाहिर, अलामतें रौशन हैं। उसमें जिन चीज़ों से रोका और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वह भी ढकी–छुपी नहीं हैं तुमने उसे पीछे डाल दिया, क्या उससे मुँह फेरना चाहते हो ? या कोई दूसरा हुक्म है ? तो दूसरा हुक्म तो बहुत बुरा बदल है और जो इस्लाम से अलग हटकर दीन बनाएगा, वह क़बूल भी न किया जायेगा और आख़ेरत में नुक़सान भी होगा।

इसके बाद तुमने सिर्फ़ इतना इन्तेज़ार किया कि उसकी नफ़रत रूक जाये और नकेल ढीली हो जाये, फिर जंग की आग को भड़काने लगे। शैतान की आवाज़ पर दौड़ पड़ने और दीन की रोशनी ख़त्म करने और पैग़म्बर[स॰] के तरीक़े को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी, दिखावे का जेहाद करते हो और रसूल[स॰] की औलाद व अहलेबैत[अ॰] को छुपकर नुक़सान पहुँचाते हो। हम तुम्हारी हरकतों पर इस तरह सब्र करते हैं, जैसे छुरी की काट और नैज़े के ज़ख्म पर, तुम्हारा ख़याल है कि मेरा मीरास में हक़ नहीं है ? क्या जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हो ? जबकि ईमान वालों के लिए अल्लाह से बेहतर कोई हाकिम नहीं है।

तुम्हारे लिए दोपहर के सूरज की तरह यह बात ज़ाहिर है कि मैं उसी नबी[स॰] की बेटी हूँ । ऐ अबूबक्र ! क्या मुझे उनकी मीरास न मिलेगी ? क्या क़ुर्आन में यही है कि तू अपने बाप का वारिस बने और मैं अपने बाप की वारिस न बनूँ। यह कैसी अजीब बात है ? क्या तुमने जान–बूझकर ख़ुदा की किताब को पीछे डाल दिया है ?

जबकि उसमें दाऊद के सुलैमान के वारिस होने का ज़िक्र है और हज़रत ज़करिया की यह दुआ है कि खुदाया मुझे ऐसा वली दे जो मेरा और याकूब की आल का वारिस हो और यह एलान है कि रिश्तेदार कुछ रिश्तेदारों से अफ़ज़ल हैं और यह इरशाद है कि खुदा औलाद के बारे में तुमको यह नसीहत करता है कि लड़के को लड़की का दोगुना मिले और यह तालीम है कि मरने वाला अपने वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करे। यह मुत्तक़ीन की ज़िम्मेदारी है। तुम्हारा ख़याल है कि न मेरा कोई हक़ है, न मेरे बाप की मीरास है, न कोई मेरी रिश्तेदारी है। क्या तुम पर कोई ख़ास आयत आयी है, जिसमें मेरा बाप शामिल नहीं ? या तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपने बाप के मज़हब से अलग हूँ, इसलिए वारिस नहीं ? क्या तुम कुर्आन की आम व ख़ास बातों को मेरे बाप और मेरे शौहर से ज़ियादा जानते हो ? ख़ैर होशियार हो जाओ ! आज तुम्हारे सामने वह दुख की मारी है जो कल तुमसे क़यामत में मिलेगी, जब अल्लाह फ़ैसला करने वाला और मुहम्मद[स०] हक माँगने वाले होगें। शर्मिन्दगी काम न आयेगी और हर चीज़ का एक वक़्त मुक़र्रर है। जल्द ही तुम्हें मालूम होगा कि किसके पास ज़लील करने वाला अज़ाब आता है और किस पर मुसीबत नाज़िल होती है।

(इसके बाद आप अंसार की तरफ़ मुतवज्जेह हुईं और फ़रमाया)

नोट :– अंसार, मदीने के वह पुराने बाशिन्दे कहलाते थे जिन्होंने रसूलुल्लाह[स०] की उस वक़्त मदद की थी, जब आप[स०] मक्के से मदीने आये थे।

ऐ जवाँ मर्द गरोह ! समाज के हाथों की कूवत ! इस्लाम के मददगार ! यह मेरे हक़ में आँखें छुपाना और मेरी हमदर्दी से लापरवाही कैसी है ? क्या वह रसूल[स०] मेरे बाप न थे, जिन्होनें यह कहा था कि इंसान का बचाव उसकी औलाद में होता है। तुमने बहुत जल्दी डर्र कर यह क़दम उठाया, हालाँकि तुममें वह हक़ वालों

की ताक़त थी, जिसके लिए मैं हैरान व परेशान हूँ। क्या तुम्हारा यह बहाना कि रसूल[स०] का इन्तेक़ाल हो गया तो बहुत बड़ा हादिसा पेश आया, जिसका नुक़सान बहुत ज़ियादा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दरार पड़ गयी, मेल–मिलाप की राहें बन्द हो गयी हैं, उनके न होने की वजह से ज़मीन पर अँधेरा फैल गया है। सितारों में रोशनी नहीं रही, उम्मीदें रूक गयीं, पहाड़ झुक गये, घर बर्बाद हो गये और एहतेराम ख़त्म हो गया है। यक़ीनन यह बहुत बड़ा हादिसा और बड़ी भारी मुसीबत है। इस जैसा कोई हादिसा नहीं है। खुद क़ुर्आन ने तुम्हारे घरों में सुब्ह व शाम बुलन्द आवाज़ से होती हुई तिलावत के ज़रीए यह एलान कर दिया था कि इसके पहले जो कुछ दूसरे नबियों पर गुज़री, वह अटल फ़ैसला था। और यह भी एक रसूल[स०] हैं, जिन्हें मौत आयेगी तो क्या तुम इनके बाद उल्टें पाँव पलट जाओगे ? ज़ाहिर है कि इससे अल्लाह का कोई नुक़सान न होगा और वह शुक्र करने वालों को बदला देकर रहेगा।

हाँ! ऐ अंसार ! क्या तुम्हारे देखते–सुनते और तुम्हारे मजमें में मेरी मारीस हज़म हो जायेगी ? तुम तक मेरी आवाज़ भी पहुँची, तुम जानते भी हो। तुम्हारे पास लोग, असबाब, हथियार, ताक़त, असलहा और ढाल सब कुछ मौजूद है। लेकिन तुम न मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हो, और न मेरी फ़रियाद को पहुँचते हो। तुम तो मुजाहिद मशहूर हो ? नेकी और भलाई से जाने जाते हो ? ज़माने के जाने–माने लोगों में हो, तुमने अरब से जंग में दुख–दर्द झेले हैं, उम्मतों से टकराये हो, लश्करों का मुक़ाबला किया है। अभी हम दोनों उसी जगह हैं, जहाँ हम हुक्म देते थे और तुम मानते थे यहाँ तक कि हमारे दम से इस्लाम की चक्की चलने लगी। ज़माने का दूध निकाल लिया गया, शिर्क के नारे बेदम हो गये, झूठ के फ़व्वारे दब गये, कुफ़् की आग बुझ गई, फ़ित्ने की पुकार चुप हो गई। दीन

का नेज़ाम मज़बूत हो गया। तो अब तुम इस वज़ाहत के बाद कहाँ चले और इस एलान के बाद क्यों पर्दा डाला ? आगे बढ़के क़दम क्यों पीछे हटाये ? ईमान के बाद क्यों मुशरिक हुए जाते हो ? क्या उस क़ौम से जंग न करोगे, जिसने अपने अहद् को तोड़ा और रसूल[स०] को निकालने की फ़िक्र की ? और पहले तुमसे मुक़ाबला किया। क्या ईमानदार होकर भी तुम उनसे डरते हो, जबकि सिर्फ़ अल्लाह से डरना चाहिए ? ख़बरदार ! मैं देख रही हूँ कि तुम हमेशा के लिए पस्ती में गिर गये और तुमने सही हक़दार को दूर कर दिया। आराम तलब हो गये और तंगी से हालात बेहतर हो गये। जो सुना था उसे फेंक दिया और जो बेदिली से निगल लिया था उसे उगल दिया। ख़ैर ! तुम क्या अगर सारी दुनिया भी काफ़िर हो जाये तो अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है।

तुम्हारी बेरूख़ी और बेवफ़ाई को जानते हुए मुझे जो कुछ कहना था, कह चुकी। वह बेरूख़ी और बेवफ़ाई, जिसको तुम लोगों ने अपना तरीक़ा बना लिया है। लेकिन यह तो एक दुखे हुए दिल की आवाज़ और गुस्से का इज़हार है, टूटे हुए दिल की आवाज़ है और हुज्जत तमाम करना है, चाहो तो इसे इकट्ठा कर लो। (यह मेरा हक़ छीन लेना और मुझे मेरे बाप की मीरास से महरूम कर देना) यह (तुम्हारी) पीठ का ज़ख़्म है, पैरों का घाव है, ज़िल्लत को बाक़ी रखने वाली चीज़ और ख़ुदा के ग़ज़ब और हमेशा बाक़ी रहने वाली मलामत है। और अल्लाह की उस भड़कती आग से क़रीब है जो दिलों पर रौशन होती है। ख़ुदा तुम्हारे करतूत देख रहा है और जल्द ही ज़ालिमों को मालूम होगा कि वह कैसे पलटाये जायेंगें। मैं तुम्हारे उस रसूल[स०] की बेटी हूँ जिसने तुम्हें बहुत भारी अज़ाब से डराया है अब तुम भी अमल करो, मैं भी अमल करती हूँ। तुम भी इन्तेज़ार करो और मैं भी वक़्त का इन्तेज़ार कर रही हूँ।

# हदीसे किसा

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

हदीसे किसा वह बरकत वाला तज़केरा है जो हदीस भी है और वाकिए का बयान भी। बरकत का सबब भी है और रहमत की वजह भी। फ़ज़ाएल का बयान भी है और ख़ुशक़िस्मी का कारन भी। ईमान वालों में कौन सा इंसान है जो इस मुबारक हदीस के अलफ़ाज़ या मआनी और मतलब को न जानता हो। यह हदीस बीमारों को शिफ़ा देने वाली, हाजतमन्दों की हाजत पूरी करने वाली, मुश्किलों में फंसे हुए बेसहारा लोगों को सहारा देने वाली है। जैसा कि खुद इसके अन्दर भी इस सच्चाई को पेश किया गया है कि इसकी तिलावत से खुदा की रहमत नाज़िल होती है और फ़रिश्ते आकर बख़्शिश की दुआएँ करते हैं। दीनी सूझ–बूझ रखने वाले के सामने पढ़ी जाये तो हालात बेहतर होते हैं। हाजत वाले के सामने इसकी तिलावत की जाये तो हाजतें पूरी होती हैं, और सैकड़ों साल से ईमान वाले इसकी बरकतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों न हो, इस्मत व तहारत वालों की बात है। बयान पाक व पाकीज़ा सच्ची बीबी[अ०] है, तफ़सीर क़ुर्आने हकीम की है, वाक़ेआ अल्लाह के पाँच नूरों के जमाव का है। हैरत व तअज्जुब अर्श वालों को है और अज़मत व फ़ज़ीलत बेहतरीन इन्सान और उसकी औलाद की है। अब अगर इन बातों के होते हुए बरकत, सआदत व रहमत न नाज़िल हो तो कब नाज़िल हो।

सनद के एतेबार से हदीसे किसा निहायत दर्जा मोअ्तबर है जिसकी सनद की बहैरन के जलीलुलक़द्र आलिम अश्शेख़ अब्दुल्लाह बहरानी[रह०अ०] ने अपनी किताब 'अवालिम' में नक़्ल किया है और उसे सय्यद हाशिम बहरानी[रह०अ०] के क़लम से लिखा हुआ देखा

है। उन्होंने अपने शेख़ुल हदीस सय्यद माजिद बहरानी[रह०अ०], उन्होंने अपने शेख़ हसन बिन ज़ैनुद्दीन[रह०अ०] से, उन्होंने अपने शेख़ मुक़द्दस अर्दबेली[रह०अ०] से, उन्होंने शेख़ अली बिन अब्दुलआली करकी[रह०अ०] से, उन्होनें अली बिन हेलाल जज़ाएरी[रह०अ०] से, उन्होंने अहमद बिन फ़हद हिल्ली[रह०अ०] से, उन्होंने अली बिन ख़ाज़िनुल हाएरी[रह०अ०] से, उन्होंने शेख़ ज़ियाउद्दीन अली बिन शहीदे अव्वल [रह०अ०]से, उन्होंने फ़ख़रूल मुहक़्क़ेक़ीन[रह०अ०] से, उन्होंने अपने बाप अल्लामः हिल्ली[रह०अ०] से, उन्होंने अपने बुज़ुर्ग मुहक़्क़िक़ हिल्ली[रह०अ०] से, उन्होंने अपने बुज़ुर्ग इब्ने नुम्मा हिल्ली[रह०अ०] से, उन्होंने अपने शेख़ मुहम्मद बिन इदरीस हिल्ली [रह०अ०] से, उन्होंने इब्ने हमज़ः तूसी[रह०अ०] साक़िबुल मनाक़िब वाले से, उन्होंने अल्लामः मुहम्मद बिन शहर आशोब[रह०अ०] से, उन्होंने एहतेजाज नाम की किताब लिखने वाले अल्लामः तब्रसी[रह०अ०] से, उन्होंने शेख़े जलील हसन बिन मुहम्मद बिन हसन तूसी[रह०अ०] से, उन्होंने अपने बाप शेख़ुत्ताएफ़ा[रह०अ०] से, उन्होंने उपने उस्ताद शेख़ मुफ़ीद[रह०अ०] से, उन्होंने अपने शेख़ इब्ने क़ौलवैहक़ुम्मी[रह०अ०] से, उन्होंने शेख़ कुलैनी[रह०अ०]से, उन्होंने अली बिन इब्राहीम[रह०अ०] से, उन्होंने इब्राहीम बिन हाशिम[रह०अ०] से, उन्होंने अहमद बिन मुहम्मद बिन अबी नस्र बज़्नती [रह०अ०] से, उन्होंने क़ासिम बिन यहया जला कूफ़ी[रह०अ०] से, उन्होंने अबू बसीर[रह०अ०] से, उन्होंने अबान बिन तग़लिब[रह०अ०] से, उन्होंने जाबिर बिन यज़ीद[रह०अ०] से, और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी[रह०अ०] से नक़्ल किया है कि मैंने सिद्दीक़ए ताहिरा हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] को यह फ़रमाते सुना है कि.........

कुछ लोगों ने इस सनद की जानकारी न होने की बिना पर रवायत के शुरू में लफ़्ज़ "रूवि–य अन–फ़ाति–म–तज़्ज़हरा" देखकर यह एतेराज़ किया है कि यह रवायत कमज़ोर है, इसका

रावी यानी बयान करने वाला मालूम नहीं है। और किसी नामालूम लफ़्ज़ से शुरू होने वाली रवायत का एतेबार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। 'रूवि–य' बतौरे इख़्तिसार या एहतेराम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वरना रवायत की एक मुसलसल सनद मौजूद है और इसमें एक से एक नामी–गेरामी आलिमों के नाम आते हैं। जिसके बाद किसी शक और शुब्हे की गुंजाइश नहीं रह जाती है।

इस हदीस की एक कॉपी अल्लामः शेख़ मुहम्मद तक़ी बिन मुहम्मद बाक़िर यज़्दी बाफ़िक़ी[रह०अ०] के रिसाले में भी मौजूद है, जिसको उन्होंने 'अवालिम' नाम की किताब से सीधा–सीधा नक़्ल किया है। और यह फ़रमाया है कि यह हदीस किताबे अवालिम में मौजूद है जिसकी 10 से ज़ियादा जिल्दें हैं और यज़्द में हुज्जतुल इस्लाम आक़ाए मिर्ज़ा सुलैमान[रह०अ०] के कुतुबख़ाने में महफ़ूज़ हैं। ग्यारहवीं जिल्द सिद्दीक़ए ताहिरा हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] के हालात में है और उसी में यह हदीस पाई जाती है।

अल्लामः शेख़ मुहम्मद सदूक़ी यज़्दी[रह०अ०] फ़रमाते हैं कि यह हदीसे मुबारक अवालिम के हाशिये पर लिखी गई है, लेकिन अस्ल किताब में बहरहाल मौजूद है।

दूसरी कॉपी अल्लामः शेख़ फ़ख़रूद्दीन मुहम्मद तुरैही[रह०अ०] की किताब 'मज्मउल बहरैन' में है जो आमतौर से हमारे मुल्कों में राइज है। और दोनों में इस तरह से नुमायाँ फ़र्क़ है कि इस कॉपी में सलाम के साथ जवाब नहीं है। जबकि अवालिम की कॉपी में सलाम और सलाम का जवाब दोनों मौजूद हैं।

इसके अलावा 'अवालिम' मे नुस्ख़े में कुछ और भी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जिनका ज़िक्र मुन्तख़ब तुरैही की कॉपी में नहीं है।

अल्लामः दैलमी[रह०अ०] ने भी इस हदीस को अपनी किताब 'अलग़ुरर वद्दुरर' में नक़्ल किया है और अल्लामः शेख़ मुहम्मद जवाद राज़ी[रह०अ०] ने भी इसका ज़िक्र अपनी किताब 'नूरूल आफ़ाक़' में किया है और उनके बयान से यह ज़ाहिर होता है कि यह हदीस 'अवालिम' नाम की किताब की ग्यारहवीं जिल्द में भी है और तेरहवीं जिल्द में भी है।

बहरहाल इबारतों के इख़्तिलाफ़ के सिलसिले में कुछ ख़ास बातों की तरफ़ इशारा कर देना ज़रूरी है ताकि रिसर्च करने वाले इन बातों से फ़ायदा हासिल कर सकें और मोमिनीन को अपनी मालूमात से फ़ायदा पहुँचा सकें।

(1) 'अवालिम' की कॉपी में पैग़म्बरे अकरम[स०] की तरफ़ से चादर में आने वाले हर एक के सलाम का जवाब भी मौजूद है जो इस्लामी क़ानून के ऐन मुताबिक़ है और जिन कॉपियों में सलाम का जवाब नहीं है उनकी वजह सिर्फ़ इबारत को छोटा करना है। या उन उलमा ने इस सलाम को वह सलाम नहीं माना है, जिसका जवाब वाजिब होता है।

(2) 'अवालिम' की कॉपी में सरकारे दोआलम[स०] ने हर सलाम का जवाब देते हुए इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ कुछ बातें बढ़ायी भी हैं, मसलन इमाम हसन[अ०] के लिए 'व–ल–दी व–साहि–ब हौज़ी', और इमाम हुसैन[अ०] के लिए 'व–ल–दी व–शाफ़ि–अ उम्मती' कहा है। अमीरूल मोमिनीन[अ०] को 'ख़लीफ़ती व–साहि–ब लिवाई' फ़रमाया है। जिन ख़ास बातों पर मअ्रिफ़त रखने वाले लोग बेहतरीन रोशनी डाल सकते हैं।

(3) 'अवालिम' की कॉपी में सबके जमा हो जाने के बाद सरकारे दोआलम[स०] के यह फ़िक़्रे भी लिखे हैं कि......''परवरदिगार !

यह मेरे अहलेबैत और ख़ास लोग हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, जो इन्हें तकलीफ़ पहुँचाता है उससे मुझे तकलीफ़ होती है और जो इन्हें रंज देता है उससे मैं रंजीदा हो जाता हूँ, जो इनसे जंग करता है उससे मेरी जंग है, जो इनसे सुल्ह करता है, उससे मेरी सुल्ह है, जो इनका दुश्मन है वह मेरा दुश्मन है, और जो इनका दोस्त है वह मेरा दोस्त है। यह मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। परवरदिगार अपनी रहमतों, बरकतों व बख़्शिशों व रिज़ा के साए में मुझे और इन्हें ले ले। और इनसे हर गन्दगी को दूर रख और इनके पाक होने का एलान कर दे"।

यह अलफ़ाज़ उस हदीसे किसा में नहीं हैं, जो आमतौर पर हमारे यहाँ राइज है, जबकि इस कॉपी में फ़ज़ीलतों और कमालात का एक पूरा सिलसिला पाया जाता है।

(4) 'अवालिम' की कॉपी में "फ़ुलकन" के साथ "तसरी" लिखा है, जबकि जो हदीसे किसा इस वक़्त राइज है, उसमें 'यसरी' और 'तसरी' दोनों लिखे गये हैं। फ़ुल्क का लफ़्ज़ Singular और Plural दोनों के लिए इस्तेमाल है।

(5) हदीस के आख़िर में 'अवालिम' की कॉपी में पैग़म्बरे अकरम[स०] के दोनों बयानों के बाद 'व–रब्बिल कअ्बः' का ज़िक्र है, जबकि राइज कॉपी में यह कलिमः एक ही बार ज़िक्र हुआ है।

हदीसे किसा में मअ्नवी एतेबार से फ़ज़ाएले आले मुहम्मद[अ०] के ऐसे गोशे पाये जाते है कि इंसान उनकी मअ्नवीयत पर ग़ौर करता रहे और झूमता रहे और मासूमा[अ०] के कलाम की खूबियों पर

सर धुनता रहे। इस हक़ीक़त के कुछ पहलुओं की तरफ़ शुरू में इशारा किया जा चुका है।

मुरसले आज़म[स०] ने बीमारी का ज़िक्र नहीं किया बल्कि कमज़ोरी का ज़िक्र किया है और ज़ाहिर है कि कमज़ोरी का इलाज बीमारी के इलाज से अलग हुआ करता है।

मुरसले आज़म[स०] की कमज़ोरी का तअल्लुक़ बदन से है, जिस्म से नहीं है और इसमें एक बारीक फ़र्क़ पाया जाता है, कि जिस्म में सर शामिल होता है। लेकिन बदन सर के अलावा बाक़ी जिस्म को कहते हैं, जिसका मतलब ही यह है कि कमज़ोरी का तअल्लुक़ सर और देमाग़ से नहीं हो सकता है।

अहलेबैत[अ०] को नुबूवत के लिए अहलेबैत और रिसालत के लिये खान माना गया है, जिसका खुला हुआ मतलब यह है कि नबी[स०] के अहलेबैत नहीं हैं बल्कि नुबूवत के घर वाले हैं, और खुदा के पैग़ाम हमको इन्हीं के ज़रीए हासिल होगा।

लोगों के जमाव में शीअः और मुहिब दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जिनका फ़र्क़ अक़ीदे और अमल के एतेबार से खूब वाज़ेह हो जाता है।

कामियाबी के एलान में रब्बे काबा की क़सम का ज़िक्र किया गया है, जिसकी मिसाल मौलाए काएनात के आख़िरी लम्हात में भी पाई जाती है।

आख़िर में यह वाज़ेह कर देना भी ज़रूरी है कि..... ''इज़ा वज्हुहू यत्लअ् लउ'' में 'इज़ा' का लफ़्ज़ है, 'इज़्न' नहीं है। 'इज़्न' का इस्तेमाल हदीस के बिलकुल आख़िर में हुआ है जिसके फ़र्क़ को मअ्रिफ़त रखने वाले व अरबी ज़ुबान जानने वाले बाक़ायदा तौर पर महसूस कर सकते हैं।

''अल्लाहुम्मज अल्ना मिन्हुम वह्शुरना म–अ मुहम्मदिंव व आलिहित्ताहिरीन''
(पालने वाले ! हमें मुहम्मद व आले मुहम्मद[अ०] के साथ महशूर फ़रमा)

# आयते तत्हीर

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

इन्साफ़ पसन्द लोगों के लिए इस बात में किसी शक व शुब्हे की गुंजाइश नहीं है कि आयते तत्हीर अहलेबैते अत्हार (पंजतने पाक) की शान में उनकी तहारत व इस्मत के एलान के लिए नाज़िल हुई है और आयत में पंजतन के अलावा किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। इसका तअल्लुक़ न तो पैग़म्बर[स०] की बीवियों से है और न उनके असहाब से। शीअः उलमा और अहले सुन्नत के उलमा दोनों इस हक़ीकत को मानते हैं, और कुछ तअस्सुब बरतने वाले लोगों के अलावा कोई इस हक़ीक़त का इनकार करने वाला नहीं है, बल्कि कुछ अहले सुन्नत के उलमा ने तो इस आयत के सिलसिले में ऐसी सच्चाईयाँ और हक़ीक़तें पेश की हैं जिन्हें देखकर आँखे खुल जाती हैं और यह अंदाज़ा हो जाता है कि हक़ की पहचान किसी एक आदमी या ग्रुप की मीरास नहीं है, अल्लाह जिसे भी तौफ़ीक़ दे दे और इन्साफ़ का दामन जो भी थाम ले, वह हक़ीक़तों को समझ सकता है और फिर उन बातों को पेश कर सकता है। नीचे उलमाए इस्लाम के इन्हीं बड़े उलमा में से दो-एक की कही हुई बातों का तज़किरा किया जा रहा है।

बीसवीं सदी के एक बड़े स्कॉलर अल्लामः सय्यद अलवीयुल हद्दादिल अलवीयिल हज़्रमीयिल जाविश्शाफ़ेइ हैं, जिनकी किताब का नाम है... "अल्क़ौलुल फ़स्ल फ़ीमा लि-बनी हाशिमिन व क़ुरैशिन मिनल फ़ज़्ल"। इसमें फ़ज़ाएले अहलेबैत[अ०] के ऐसे-ऐसे गोशे बयान किए हैं कि इंसान हैरत में पड़ जाता है, और इसके बाद आलमे इस्लाम में होने वाली बददेयानती, नाइंसाफ़ी, और बेदीनी का भी तज़केरा किया है कि उलमाए इस्लाम ने किस तरह रवायतों को

अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ मोअ्तबर व ग़ैर मोअ्तबर क़रार दिया है और किस तरह फ़ज़ाएले अहलेबैत[अ०] को छुपाने की नाकाम कोशिश की है।

इन्हीं अल्लामः ने अपनी किताब की दूसरी जिल्द में पेज नं०–162 पर कुछ मुतअस्सिब लोगों का जवाब देते हुए लिखा है कि.. "हदीसे किसा बिलकुल सही है और आयते तत्हीर के नाज़िल होने का तज़केरा सही मुस्लिम, सही तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, मुस्तद्रक हाकिम, सुनने बैहक़ी में पाया जाता है और इब्ने हबान, साहिबे मोअ्जमे कबीर, तबरी, नेसाई, तफ़सीरे इब्ने कसीर, इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मर्दवैह, ख़तीब, इब्ने अबी शैबः, तियालिसी वग़ैरह ने भी इस हदीस को पेश किया है।

इसको सही मानने वालों में मुस्लिम, इब्ने अबी हातिम, सालेह बिन मुहम्मद असदी, इब्ने शाहीन, हाफ़िज़ अहमद बिन सालेह मिसरी, हाकिम, बैहक़ी, हाफ़िज़ इब्ने हजर, इब्ने अब्दुल बिर, इब्ने तैमियः, सख़ावी, क़स्तलानी, कमाल, ज़रक़ानी, समहूदी, शौकानी जैसे बड़े अहले सुन्नत के उलमा हैं अैर शीअः उलमा में तो सभी ने इसे सही और मोअ्तबर क़रार दिया है, जिसके बाद किसी शक और शुब्हे की गुंजाइश नहीं रह जाती है।

इसके अलावा इसकी रवायत करने वालों में पन्द्रह असहाबे रसूल[स०] भी हैं। हज़रत अली[अ०], हज़रत हसन[अ०], हज़रत हुसैन[अ०], हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, इब्ने अब्बास, उम्मे सलिमः, आइशः, सअ्द बिन अबी वक़्क़ास, अनस बिन मालिक, अबू सईद खुदरी, इब्ने मसऊद, मअ्क़िल बिन यसार, वासेला बिन अस्क़अ्, अम्र बिन अबी सलिमः, अबुल हुमरा वग़ैरह।

इसके बाद इन्हीं अल्लामः ने आयत की दलालत और उसके मतलब पर रोशनी डालते हुए कुछ शाफ़ेई उलमा की यह बात लिखी है कि आयत इस बात की दलील है कि अहलेबैते अतहार[अ०] फ़ज़ाएल व कमालात का स्रोत हैं और इनके अलावा जहाँ भी कोई कमाल पाया जाता है, सब इन्हीं का सदक़ा और तुफ़ैल है। जिस तरह कि गुलाम आक़ा के साथ शरीक रहता है, यह हज़रात पैग़म्बरे इस्लाम[अ०] के ख़ास वारिस, ख़लीफ़ः और क़ुर्आन के साथी और उसी की जुबान बोलने वाले हैं। इनके फ़ज़ाएल में इनका कोई हिस्सेदार नहीं है। इनका जैसा शरफ़ न आले अब्बास को हासिल हुआ है और न आले जअ्फ़र को। बल्कि हद यह है कि औलादे अली[अ०] में भी औलादे फ़ातिमः[अ०] के अलावा किसी को यह शरफ़ व कमाल हासिल नहीं हुआ है। इसीलिए अल्लामः बैहक़ी ने जब वासिलः बिन असक़अ् के बारे में रवायत नक़्ल की कि "अन–त मिन अहली" तो इस बात की वज़ाहत कर दी है कि वासिलः को अहलेबैत[अ०] से मिलाया गया है, जो खुद अहलेबैत[अ०] के शरफ़ और फ़ज़्ल व कमाल की बेहतरीन दलील है।

इसके बाद अल्लामः ने अल्लामः समहूदी के हवाले से आयत के मानी और मतलब के बारे में एक बड़ी रिसर्च पेश की है, जिसका खुलासा यह है कि आयत में तक़रीबन पन्द्रह ख़ास बातें पायी जाती हैं, और हर ख़ास बात अहलेबैत[अ०] की अज़मत व फ़ज़ीलत की एक मुस्तक़िल दलील है।

(1) आयत की शुरूआत 'इन्नमा' के लफ़्ज़ से हुई है, जिसका मतलब ही यह है कि अल्लाह ने अपने इरादे को उनकी तहारत में घेर दिया है और यह उनके नेकियों और बरकतों का स्रोत होने की बेहतरीन दलील है।

(2) परवरदिगारे आलम ने यह एहतेमाम सिर्फ़ उन्हीं के फ़ज़ाएल के लिए किया है। इसके अलावा यह एहतेमाम किसी और जगह दिखायी नहीं देता।

(3) रूट लफ़्ज़ तत्हीर इस्तेमाल करके बात में और ज़ियादा ज़ोर पैदा कर दिया गया है।

(4) "तत्हीरः" को कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करके यह ज़ाहिर किया गया है कि यह तहारत एक ख़ास और बड़े क़िस्म की तहारत है, जिसका क़यास आम तहारतों पर नहीं किया जा सकता है।

(5) पैग़म्बर[स०] का इन हज़रात को अहलेबैत कहकर तहारत बाक़ी रहने की दुआ करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह के इरादे के साथ पैग़म्बर[स०] की दुआ भी काम कर रही है और सबको अहलेबैत[अ०] के फ़ज़ाएल फैलाने की फ़िक्र है।

(6) अबू सईद खुदरी की रवायत की बिना पर आयत में खुद पैग़म्बरे अकरम[स०] भी शामिल हैं, जो अहलेबैत[अ०] की अज़मत को बढ़ावा देने वाली बात है।

(7) हुज़ूर[स०] ने अहलेबैत[अ०] के हक़ में बरकतों, रहमतों, सलवात और मग़फ़ेरत्त की दुआ की है जो इस बात की दलील है कि यही हज़रात साहेबाने तत्हीर हैं। वरना साहेबाने तत्हीर के अलावा कोई इन दुआओं का हक़दार नहीं हो सकता है।

(8) पैग़म्बर[स०] ने हर दुआ में अपने को भी शामिल रखा है ताकि उससे अहलेबैत[अ०] की बराबरी के शरफ़ का भी अन्दाज़ा हो जाये।

(9) हुज़ूर[स॰] ने दुआ में जनाबे इब्राहीम पर रहमत नाज़िल होने का भी ज़िक्र किया है, जो अहलेबैत[अ॰] के वारिसे इब्राहीम और रूत्बे हज़रत इब्राहीम के बराबर होने की दलील है।

(10) हुज़ूर[स॰] का सलवात के लिए दुआ करना दलील है कि अहलेबैत[अ॰] सलवात के मुस्तहक़ हैं, इसलिए कि पैग़म्बर[स॰] की दुआ रद्द नहीं होती है।

(11) "इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम" एक इशारा है कि अहलेबैत[अ॰] दूसरे मरतबों, फ़ज़्ल व कमाल में सरकारे दोआलम[स॰] के शरीक हैं।

(12) इरादए तत्हीर व रिज्स से दूरी एक मुस्तक़िल दलील है कि अहलेबैत[अ॰] आख़ेरत में भी जहन्नम की आग से मुकम्मल तौर पर महफ़ूज़ हैं।

(13) रोज़ाना सुब्ह को हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ॰] के दरवाज़े पर आकर सलाम करना एक इशारा है कि जिनका मरतबा बुलन्दतर होता है, उनका किरदार भी बुलन्दतर होना चाहिए और अहलेबैत[अ॰] ऐसे ही हैं।

(14) हदीस में सरकार[स॰] का अपने बारे में यह फ़रमाना कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन घराने में रखा है, खुद अहलेबैत[अ॰] के बेहतरीन लोग होने की दलील है।

(15) आप ने तहारत और कमाल में बराबरी का एलान करके यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अहलेबैत[अ॰] पर सदक़ा हराम है। इसलिए कि सदक़ा हाथों का मैल है और एक तरह का कसीफ़ माल होता है, जो अहले तत्हीर के शायाने शान नहीं है।

इसके बाद अल्लामः ने कुछ रिसर्च स्कॉलर्स की यह बात भी दोहराई है कि अगरचे अहलेबैत[अ०] में घर और घराने वाले सभी शामिल हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर रिहायशी घर वाले शुमार नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ़ घराने वाले ही शुमार होते हैं, जो हमेशा घराने के साथ रहते हैं, रिहायशी घर वाले तो किसी वक़्त भी घर से अलग हो सकते हैं, बीवी तलाक़ के बाद अपने घर या दूसरे शौहर के घर चली जाती है और उसके घर वालों में शामिल हो जाती है। इसलिए वह अहलेबैत[अ०] में शामिल नहीं हो सकती है।

कुर्आने मजीद में बीवियों को "या निसाअन्नबी" कहकर पुकारा है। यानी नबी[स०] की तरफ़ निस्बत दी है और अहलेबैत[अ०] की कोई निस्बत नहीं बयान की है, जिसका मतलब ही यह है कि अहलेबैत[अ०] और हैं और अज़वाज और। अज़वाज में हुज़ूर[स०] शामिल नहीं हैं और अहलेबैत[अ०] में हुज़ूर[स०] ने अपने को भी शामिल किया है।

आयते तत्हीर में बैत का लफ़्ज़ **Singular** है और अज़वाज अहलेबैत नहीं हैं, बल्कि अहले बुयूत यानी अलग–अलग घर वाली हैं, फिर बैत से पहले भी 'अल' लगा हुआ है। यानी अलबैत अरबी ग्रामर के लेहाज़ से इसका मतलब होता है – 'कोई ख़ास घर'। जबकि 'बैत' के मानी हैं – 'घर'।

हज़रत उम्मे सलिमः को यह कहकर कि तुम ख़ैर पर हो चादर से दूर रखना भी इस बात की दलील है कि आयते तत्हीर में अज़वाज की कोई गुंजाइश नहीं है और यह सिर्फ़ पंजतने पाक की अज़्मत, इस्मत, तहारत व जलालत के एलान के लिए नाज़िल हुई है।

– – – –

# असहाबे किसा

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

नोट :– आयते तत्हीर के नाज़िल होते वक़्त जो लोग रसूलुल्लाह[स०] के साथ चादर में मौजूद थे, उनको "असहाबे किसा" कहा जाता है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०], हज़रत अली[अ०], हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०], इमाम हसन[अ०] और इमाम हुसैन[अ०] ही असहाबे किसा हैं।

खुदा बुरा करे तअस्सुब, हसद और अहलेबैत[स०] से दुश्मनी का कि इस्लाम की कोई मानी हुई बात जानी–मानी न रहने पाई और हर जगह हुकूमत के नमक ख़ारों ने कोई न कोई शुब्हा पैदा कर दिया। आयते तत्हीर अहलेबैते अत्हार[अ०] की शान में है और अहलेबैत[अ०] से मुराद मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] और उनकी औलाद है। लेकिन पहले भी और अब भी ऐसे लोग बहरहाल पैदा होते रहे हैं, जिनका काम ही हक़ीक़तों में शक व शुब्हा पैदा करना है। और इस्लाम में जानी–मानी जाने वाली बात को शक व शुब्हे की नज़्र कर देना है। उन्होंने आयत के पहले व बाद का सहारा लेकर उसे अज़वाजे पैग़म्बरे इस्लाम[अ०] से जोड़ना चाहा है और फिर यह बात भी मानते रहे हैं कि अहलेबैत[अ०] में सिर्फ़ अज़वाज ही दाख़िल नहीं हैं बल्कि उसमें हज़रत अली[अ०], हज़रत फ़ातिमः[अ०], हज़रत हसन[अ०] व हज़रत हुसैन[अ०] की भी गुंजाइश है कि जिसके बाद एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने इस गुंजाईश को भी ख़त्म कर दिया है और अपनी ख़ाम ख़याली में दलीलें क़ायम कर दी हैं कि अहलेबैत[अ०] मासूमीन[अ०] को नहीं कहा जा सकता है। इससे मुराद सिर्फ़ अज़वाजे पैग़म्बर[अ०] हैं। और फिर दो–एक रवायतें भी तैयार कर दीं, जिनमें रावियों ने अहलेबैत[अ०] को अज़वाज से जोड़ने की कोशिश की है।

और उसके मुक़ाबले में उन तमाम हदीसों को नज़र अन्दाज़ कर दिया है, जिनमें अहलेबैत[अ०] की पूरी तरह वज़ाहत मौजूद थी और नाम–बनाम ज़िक्र मौजूद था। जिसके बाद किसी शक व शुब्हे की गुंजाइश न थी, बल्कि जनाबे उम्मे सलिमः का रोक देना दलील था कि इसमें अज़वाज शरीक नहीं हैं। बहरहाल यह ज़माने का एक करिश्मा है कि पैग़म्बर[स०] की जिस बीवी ने दाख़िल होने की कोशिश की उसे सरकारे दोआलम[स०] ने तो रोक दिया, और जिसका उस मौक़े पर पता और निशान भी नहीं था उसे आयत में शामिल कर दिया गया।

अब हम इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके ज़माने या बाद के जाने–माने अहले सुन्नत के उलमा के नाम उनकी किताब के साथ लिख रहे हैं, जिन्होंने नाम–बनाम हज़रत अली[अ०], हज़रत फ़ातिमः[अ०] और इमाम हसन[अ०] व इमाम हुसैन[अ०] की शान में आयते तत्हीर के नाज़िल होने का ज़िक्र किया है और जिसके बाद किसी शक व शुब्हे और इस बात को रद्द करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है।

(1) हाफ़िज अबू दाऊद तयालिसी सुलैमान बिन दाऊद बिन जारूद बसरी, किताब मुस्नद जिल्द–8, पेज–274, हैदराबाद।

(2) अल्लामः हाफ़िज़ अबू अब्दिल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल शैबानी, किताब मुस्नद जिल्द–1, पेज–331, क़ाहिरः।

(3) हाफ़िज़ मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, किताब सही तिरमिज़ी।

(4) हाफ़िज़ मुहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शैबः कूफ़ी, किताब मुस्नद फ़ुलकुन्नजाह के हवाले से, पेज–43।

(5) अल्लामः अबू अब्दिर्रहमान अहमद बिन शुऐब नेसाई, किताब ख़साइस पेज–4 ।

(6) हाफ़िज़ मुहम्मद बिन जुरैर तबरी, किताब तफ़्सीर, जिल्द–22 पेज–5, मिस्र।

(7) हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम मुहम्मद राज़ी, फुलकुन्नजाह के हवाले से।

(8) सुलैमान बिन अहमद बिन अयूब तबरानी, किताब मोअ्जम, सवाइक़ के हवाले से।

(9) अल्लामः जस्सास, किताब अहकामुल कुर्आन।

(10) हाफ़िज़ हाकिम अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह नैशापूरी, किताब मुस्तद्रक, जिल्द–2, पेज–416, जिल्द–3, पेज–146, पेज–159, पेज–172 ।

(11) अल्लामः मुहद्दिस अहमद बिन हुसैन बिन हारून मुअय्यद बिल्लाह, किताब अमाली, पेज–23 ।

(12) हाफ़िज़ अहमद बिन हुसैन बिन अली बैहक़ी, किताब सुनने कुबरा, जिल्द–2, पेज–149 ।

(13) अल्लामः हाफ़िज़ अबूबक्र अहमद बिन अली बिन साबित ख़तीब बग़दादी, किताब तारीख़े बग़दाद, जिल्द–10 ।

(14) अल्लामः हाफ़िज़ अबू अम्र यूसुफ़ बिन अब्दिल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल बिर अन्दलसी, किताब इस्तीआब, जिल्द–2, पेज–208 ।

(15) अल्लामः मुहद्दिस शेख़ अबुल हसन अली बिन अहमद वाहिदी नैशापूरी, किताब असबाबुन्नुजूल, पेज–267 ।

(16) हाफ़िज़ दैलमी, किताब फ़िरदौस, सवाइक़ के हवाले से।

(17) हाफ़िज़ हुसैन बिन मस्ऊद शाफ़ेई बग़वी, किताब मसाबीहुस्सुन्नः, जिल्द–2, पेज–204 ।

(18) अल्लामः महमूद बिन उमर ज़ेमख़्शरी, किताब कश्शाफ़, जिल्द–1, पेज–193 ।

(19) अल्लामः क़ाज़ी अबूबक्र मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह अशबैली, किताब अहकामुल कुर्आन, जिल्द–2, पेज–166 ।

(20) अबुल मुअय्यद मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद अख़तब ख़ुतबा ख़वारिज़्म, किताब मनाक़िब, पेज–35 ।

(21) अल्लामः अली बिन हुसैन बिन हिबतिल्लाह दमिश्क़ी मअ्रूफ़ बइब्ने असाकर, किताब तारीख़े दमिश्क़।

(22) अल्लामः फ़ख़रूद्दीन राज़ी, किताब तफ़सीरे मअ्रूफ़।

(23) अबुस्सआदात मुबारक बिन मुहम्मद बिन असीर जज़री, किताब जामिउल उसूल, जिल्द–1, पेज–101 ।

(24) अल्लामः मुहद्दिस शेख़ हसन बिन हुसैन बिन अली बिन मुहम्मद बिन बतरीक़ असदी, किताब नहजुल उलूम।

(25) अल्लामः शेख़ इज़्ज़ुद्दीन अबुल हसन अली बिन असीर जज़री, किताब उसुदुल ग़ाबः ।

(26) अल्लामः यूसुफ़ वाएज़ बिन अब्दिल्लाह अल मुश्तहिर बइब्ने जौज़ी, किताब तज़्किरतु ख़वासिल उम्मः।

(27) अल्लामः गन्जी शाफ़ेई, किताब किफ़ायतुत्तालिब।

(28) अल्लामः कमालुद्दीन मुहम्मद बिन तलहा शाफ़ेई, किताब मतालिबुस्सुऊल।

(29) अल्लामः शेख़ अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन अहमद अन्सारी क़र्तबी, किताब अलजामिउ लिअहकामिल क़ुर्आन।

(30) अल्लामः शेख़ यहया बिन शरफ़ुद्दीन दमिश्क़ी, किताब शरहुल मुहज़्ज़ब।

(31) अल्लामः क़ाज़ी बैज़ावी, किताब तफ़सीरे मअ्रूफ़।

(32) हाफ़िज़ मुहिबुद्दीन अहमद बिन अब्दिल्लाह तबरी, किताब ज़खाइरूल उक़बा।

(33) अल्लामः नसफ़ी, किताब तफ़सीरे मदारिक।

(34) अल्लामः वलीयुद्दीन मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह ख़तीब अमरी तबरेज़ी, किताब मिशकातुल मसाबीह।

(35) अल्लामः जलील अबुल फ़िदा इस्माईल बिन कसीर दमिश्क़ी, तफ़सीरे मअ्रूफ़।

(36) हाफ़िज़ नूरूद्दीन अली बिन अबूबक्र हैसमी, किताब मजमउज़्ज़वाइद।

(37) शेख़ इमाम अली बिन मुहम्मद अलमअ्रूफ़ बइब्निस्सब्बाग़ मालिकी, किताब फ़ुसूलुल मुहिम्मः।

(38) हाफ़िज़ शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन अली अस्क़लानी अलमअ्रूफ़ बइब्ने हजर, किताब इसाबः।

(39) शमसुद्दीन अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन अहमद ज़हबी, किताब तलख़ीसुल मुस्तदरक।

(40) अल्लामः शेख़ हमीद बिन अहमद मुहल्ला यमानी, किताब हदाइकुल वरदियः।

(41) अल्लामः निज़ामुद्दीन हसन एअ्रिज कुम्मी, किताब तफ़सीरे नैशापूरी।

(42) मुहद्दिसे जलील सय्यद अताउल्लाह हुसैनी, किताब रौज़तुल अहबाब।

(43) अल्लामः जलालुद्दीन सुयूती, किताब दुर्रे मन्सूर।

(44) अल्लामः मुअर्रिख़ ग़यासुद्दीन बिन हिमामुद्दीन, किताब हबीबुस्सियर।

(45) शेख़ अहमद बिन हजर मक्की, किताब सवाइक़े मुहर्रिक़ः।

(46) अल्लामः मीर मुहम्मद सालेह कशफ़ी, किताब मनाक़िबे मुर्तज़वी।

(47) मुहद्दिसे जलील अलाउद्दीन बिन अब्दुल मलिक हुसामुद्दीन अलमअ्रूफ़ बिल मुत्तक़ीयिल हिन्दी, किताब मुन्तख़ब कन्जुल उम्माल।

(48) अल्लामः मुहम्मद शरबीनी ख़तीब, सिराजे मुनीर ।

(49) अल्लामः शेख़ मुहम्मद शाफ़ेई यमानी मन्जूमः।

(50) अल्लामः मुल्ला अली क़ारी, किताब शरहुल फ़िक़्हिल अकबर।

(51) उबैदुल्लाह अमृतसरी, किताब अर्जहुल मतालिब।

(52) अल्लामः बुरहानुद्दीन शाफ़ेई, किताब सीरतुल हलबियः।

(53) मुहद्दिस ज़रक़ानी, किताब मअ्रूफ़।

(54) अल्लामः अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन आमिर।

(55) अल्लामः शेख़ मुहम्मद सब्बान मिस्री, किताब अस्आफ़ुर राग़ेबीन।

(56) अल्लामः क़ाज़ी हुसैन बिन अहमद बिन हुसैन यमानी, किताब रौज़ुन्नुज़ैर।

(57) अल्लामः शेख़ मुहम्मद बिन अली शौकानी, किताब फ़तहुल क़दीर।

(58) शहाबुद्दीन महमूद आलूसी, किताब रूहुल मआनी।

(59) अल्लामः शबलन्जी, किताब नूरूल अबसार।

(60) अल्लामः सिद्दीक़ हसन ख़ाँ भोपाली, किताब तशरीफ़ुल बशर।

(61) शेख़ यूसुफ़ बिन इस्माईल बनहानी,किताब शरफ़ुल मुअय्यद।

(62) अल्लामः अबूबक्र बिन शहाबुद्दीन शाफ़ेई, किताब रश्फ़तुस्सादी।

(63) अल्लामः सय्यद अलवी हद्दाद सादिक़ी हज़्रमी शाफ़ेई, किताब क़ौलुल फ़स्ल।

# पर्दा और सीरते मासूमीन[अ०]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

किसी के तौर–तरीक़े को सीरत कहा जाता है। सीरत खुद एक ठोस और ख़ामोश हक़ीक़त होती है। इसलिए उसको बतौरे प्रूफ़ पेश करने से पहले उसको समझना और उस पर नज़र करना ज़रूरी होता है कि जब तक उसे सही तौर पर न समझ लिया जाये, उस वक़्त तक उसे प्रूफ़ के तौर पर पेश कर देना बेईमानी है। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपने किसी मासूम को दो रक्अत नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो ज़ाहिर है कि उस नमाज़ से इतना तो ज़रूर अन्दाज़ा हो जाता है कि इस वक़्त में दो रक्अत नमाज़ पढ़ना जाएज़ है। लेकिन यह फ़ैसला करना नामुमकिन है कि यह नमाज़ सुन्नत है या वाजिब ? वाजिब है तो सिर्फ़ मासूम के लिए वाजिब है या दूसरे लोगों के लिए भी वाजिब है ? उस नमाज़ की नौईयत मालूम करने के लिए मज़हब के दूसरे क़ानूनों पर नज़र करना होगी। मस्लन यह देखा जायेगा कि इस्लाम में वाजिब नमाज़ों की तादाद मुअय्यन हो चुकी है और मासूम जो काम ख़ासतौर पर करते हैं, उनकी भी हदबन्दी की जा चुकी है। इसलिए यह नमाज़ वाजिब नहीं हो सकती है और न इसकी गिनती उन कामों में हो सकती है जो सिर्फ़ मासूम के लिए मख़सूस हैं। इसलिए इस नमाज़ का मुस्तहब होना एक यक़ीनी बात है। यही हाल दूसरी तमाम सीरतों का है कि जब तक उनकी नौईयत न मालूम हो जाये कि वह किस क़िस्म की हैं, उस वक़्त तक उनके बारे मे फ़ैसला करना मुमकिन नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि पर्दे के बारे में भी इस्लाम का हुक्म मालूम किया जाये, ताकि उसकी रोशनी में सीरत का तजज़िया और समीक्षा की जा सके। क़ुर्आन व सुन्नत के

अकसर बयानों से पर्दे की वज़ाहत करने के लिए इस वक़्त मासूमए आलम हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की वह बात सामने है जो आपने रसूलुल्लाह[स०] के सवाल पर जवाब में कही थी। आपका सवाल यह था कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है ? और मासूमए आलम[अ०] का जवाब यह था कि औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि.... "न उस पर किसी मर्द की निगाह पड़े और न वह किसी मर्द को देखे"। जिसका मतलब यह है कि पर्दा सिर्फ़ औरत के ही छुपने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें मर्द व औरत दोनों की हया व ग़ैरत को दख़्ल है। पर्दा सिर्फ़ घर में बैठने का नाम नहीं है बल्कि घर से निकलने के बाद भी मर्दों की नज़र से बचने का नाम है और घर में रहकर भी नामहरम की निगाह से अपने को बचाये रखने का नाम है। औरत को क़ानूनी एतेबार से घर के अन्दर रहकर घरेलू कामों की देख–रेख करना चाहिये और अगर कभी ज़रूरत पड़ने पर घर से निकल भी आये तो अपने को मर्दो की नज़र से बचाये रखना चाहिए। यही वजह है कि इस्लाम ने मर्द को औरत पर हुकूमत का दर्जा इसी मानी में दिया है कि वह औरत को घर से बाहर न जाने दे। घर से बाहर की मसलेहतों को औरत की बनिस्बत मर्द ज़ियादा बेहतर जानता है। और अगर इन हालात के जानते हुए भी बाहर जाने की इजाज़त देता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शर्म व हया रूख़्सत हो चुकी है और ज़ाहिर है कि जिसकी शर्म व हया रूख़्सत हो जाये उसका दीन व मज़हब कहाँ रह जाता है।

मासूमए आलम[अ०] के इसी इरशादे गेरामी की रोशनी में आप की इस सीरत को देखा जा सकता है कि आपके दरवाज़े पर रसूलुल्लाह[स०] अपने मोहतरम सहाबी को लेकर आये और अन्दर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन आपने दोबारा सवाल किया तो आपने अर्ज़ किया कि घर आपका है इजाज़त की क्या ज़रूरत है ? आपने

फ़रमाया कि मेरे साथ मेरा एक सहाबी भी है। जनाब सय्यदा[अ०] ने कहा कि आपको तो मालूम है कि मेरे पास एक चादर है जिससे या सर को छुपा सकती हूँ या पैरों को। ऐसी हालत में किसी सहाबी को घर के अन्दर आने की इजाज़त कैसे दे सकती हूँ ? वाक़िए से साफ़ ज़ाहिर होता है कि मासूमए आलम[अ०] सहाबी को घर के अन्दर आने से नहीं रोकना चाहतीं, बल्कि पर्दे की हदों को बताना चाहती हैं। यानी अगर मेरे पास ऐसी चादर होती जो सर से पैर तक मुझे पूरी तरह ढाक ले तो ज़रूर इजाज़त दे देती। यही वजह है कि जब हज़रत[स०] ने अपनी अबा दे दी तो जनाबे सय्यदा[अ०] ने खुशी–खुशी उस सहाबी को अन्दर आने की इजाज़त दे दी।

मासूमा[अ०] के पिछले इरशाद से बज़ाहिर यही मालूम होता था कि औरत या मर्द के देखने का मतलब उसके चेहरे और सूरत का देखना है लेकिन आपकी सीरत ने उसकी वज़ाहत इस तरह कर दी कि उसकी हदों में जिस्म की लम्बाई और बनावट भी आ जाती है जैसा कि मशहूर है कि आपने असमा से यह शिकवा किया कि मदीने में जनाज़ा उठाने का तरीक़ा ग़लत है। उससे मुर्दे के बदन की लम्बाई और चौड़ाई ज़ाहिर हो जाती है और जब असमा ने हबश के तरीक़े से ताबूत बनाकर दिखाया तो आपके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। (कुछ रवायातों में यह तरीक़ा मासूमः के ख़ाब का नतीजा बताया गया है) ज़ाहिर है कि आपकी बेचैनी मरने के बाद के लिए थी, जब इन्सान से हर हुक्म और हर फ़रीज़ा उठा लिया जाता है लेकिन यह बेचैनी बताती है कि आप मरने के बाद भी आप नहीं चाहती थीं कि जिस्म की लम्बाई–चौड़ाई या बनावट ज़ाहिर हो और जो ख़ातून मरने के बाद इस बात को पसन्द न करती हो वह ज़िन्दगी में कैसे पसन्द कर सकती है। और शायद यही वजह थी कि जब रसूले अकरम[स०] आपको मुबाहिले में लेकर चले तो आगे ख़ुद

रहे और पीछे हज़रत अली[अ०] को कर दिया ताकि फ़ातिमः[अ०] का क़द नुमाँया न होने पाये और फ़ातिमः[अ०] के नक़्शे क़दम पर किसी की नज़र न पड़ने पाये।

हज़रत फ़ातिमः ज़हरा[अ०] की अज़मत का अन्दाज़ा इस वाक़िए से भी होता है कि रसूले अकरम[स०] इब्ने मकतूम जो अन्धे थे, को लेकर अपने घर में तशरीफ़ लाये, और आयशः व हफ़्सः से कहा कि हुजरे में चली जाओ तो दोनों ने कहा कि यह तो अन्धे हैं, इनसे पर्दा करने की क्या ज़रूरत है ? तो आपने फ़रमाया कि यह सच है कि वह अन्धे हैं लेकिन तुम तो अन्धी नहीं हो। इस्लाम जहाँ उसका देखना पसन्द नहीं करता है, वहीं तुम्हारा भी उसे देखना पसन्द नहीं करता है।

ऊपर के वाक़िआत से मालूम हो जाता है कि औरत की असली मंज़िल घर की हदें हैं और उसका अस्ल काम घरेलू कामों की देख–रेख है। उसको लोगों की निगाहों से बचाने में ही ख़ैर है, और उसकी जिस्म की बनावट को अजनबी नज़रों से बचाये रखने में ही बेहतरी है। यही किरदार समाज को बेहतर बना सकता है। और यही ज़िन्दगी का उसूल समाज को भला रखने का ज़िम्मेदार है। अगरचे इसकी हदें वाजिबात से ज़ियादा हैं और वाजिबात में उनमें से बहुत सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन अच्छाई बहरहाल अच्छाई है, जिसका लेहाज़ हत्तल इमकान ज़रूरी है। बिला ज़रूरत भलाई को छोड़ देना कभी–कभी शर और फ़साद का सबब हो जाता है।

ख़ुदावन्दे आलम तौहीद व रिसालत को मानने वाली उम्मत और विलायत के रास्ते पर चलने वालों को इस ख़ैर को हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और हमारे समाज को हर शर व आफ़त से बचाये रखे। (आमीन ! या रब्बल आलमीन)

**TANZEEMUL MAKATIB**

GOLAGANJ, LUCKNOW-226 018, U.P. INDIA

Ph. : 2615115 Fax : 2628923

www.makatib.net & E_mail: makatib@makatib.net